



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 11, 2008/श्रावण 20, 1930

No. 127]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 11, 2008/SRAVANA 20, 1930

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 30 जुलाई, 2008

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2008

फा. सं. बी.वि. वि. प्रा. विनियम/5/47/2008.— प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 की धारा 4) 27क, 27ख, 27घ और 114 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमन, 2000 जिनकी अधिसूचना 16 अगस्त, 2000 को फा. सं. बी. वि. वि. प्रा. विनियम/8/2000 भारत के राजपत्र में जो दिनांक 31 मई, 2001 को फा. सं. बी. वि. वि. प्रा. विनियम/5/2001 संशोधित भारत के राजपत्र द्वारा हुआ और दिनांक 2 अप्रैल, 2002 फा. सं. बी. वि. वि. प्रा. विनियम/3/2002 तथा 5 जनवरी, 2004 को फा. सं. बी. वि. वि. प्रा. विनियम/1/2004 भारत के राजपत्र द्वारा संशोधन हुआ, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2008 है।
- ये राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2008 के विनियम 2 में

- वाक्यांश (खक) अद्योलिखित का स्थान लैगा :—

[(कख) "निवेश संपतियाँ" से अभिप्रायः]

- जीवन बीमा कर्ता के मामले में

(क) अंशधारक की निधि जो बीमा शोधन के मार्जिन, यूनिट लिंक बीमा व्यवसाय के लिए गैर यूनिट आरक्षियाँ, पालसीधारक के सहभागी तथा गैर सहभागी निधि

(ख) पालसीधारक के पेंशन निधि तथा साधारण एन्व्यूटी फंड उनके महसूल मूल्य पर

(ग) पालसीधारक के यूनिट आरक्षितों यूनिट लिंक बीमा व्यवसाय उनके बाजार मूल्य पर

- साधारण बीमा कर्ता के मामले में

(क) अंशधारक की निधि जो बीमा शोधन के मार्जिन तथा पालसीधारक निधि उनके महसूल मूल्य पर जैसा की उनके तुलन-पत्र में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, विनियमन 2000 (बीमा कंपनियों की वित्तीय विवरणी तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट बनाना) "विविध खर्च" के अन्तर्गत शामिल शीर्ष में शामिल नहीं है।

(ii) वाक्यांश (ग क) अद्योलिखित का स्थान लेगा :-

(ग क) "गुप" अभिप्रायः

(i) दो या दो से अधिक व्यक्ति, व्यक्तियों का संबद्ध होना, फर्म, न्यासी, न्यासियों अथवा निगमित निकाय, फर्म या न्यास, अथवा

(ii) संबद्ध व्यक्ति जैसा कि प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत समय समय पर नियत किया जायेगा।

(iii) वाक्यांश (ग ख) अद्योलिखित नया वाक्यांश स्थान लेगा :-

(ग ग) मुद्रा बाजार प्रपत्र

मुद्रा बाजार प्रपत्र में शामिल है निम्न लिखित लघु समय की निधियाँ जिनकी परिपक्वता में एक वर्ष से अधिक समय न हो।

1. सेबी के (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमन 1999 के अन्तर्गत पंजिकृत रेटिंग एजेंसी से प्राप्त मूल्यांकित जमा प्रमाणपत्र

2. सेबी के (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमन 1999 के अन्तर्गत पंजिकृत रेटिंग एजेंसी से प्राप्त रेटिंग व्यापार पत्र

3. संग्रहक, विपरित संग्रहक

4. खजाना बिल

5. माँग, नोटिस, मियादी धनराशि

6. सीबीएलओ विनियम की अनुसूची I तथा II के अनुसार

7. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्य कोई नीयत प्रपत्र

3. निवेश के विनियम

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 3 को अद्योलिखित से परिवर्तित किया जायेगा।

3 (1) जीवन व्यवसाय : अधिनियम की धारा 27 ए में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्राधिकरण यह निर्धारित करेगा की पेंशन व्यवसाय से सम्बंधित सम्पत्तियाँ, वार्षिकी व्यवसाय तथा सभी श्रेणी के युनिट लिंक व्यवसाय, नियन्त्रित निधि का भाग उस अनुभाग के लिए नहीं होगी।

अधिनियम की धारा 27, 27 ए से बिना पूर्वग्रह के, सभी बीमाकर्ता जो जीवन बीमा करते हैं, निवेश करेंगे तथा निवेश में रहेंगे अपनी निवेश सम्पत्तियाँ (साधारण वार्षिकी व्यवसाय तथा निधि जिनका सम्बन्ध पेंशन से है, युनिट लिंक व्यवसाय की सभी श्रेणियों को छोड़ कर) निम्न लिखित प्रकार से :-

संख्या	निवेश का प्रकार	प्रतिशत
(i)	सरकारी प्रतिभूति	निधि के 25 प्रतिशत से कम नहीं
(ii)	सरकारी प्रतिभूति अथवा अन्य मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियाँ	निधि के 25 प्रतिशत से कम नहीं (शापित (i) उपरोक्त)

संख्या	निवेश का प्रकार	प्रतिशत
(iii)	<p>बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 क में बताये गये निवेश तथा विनियमन की अनुसूची I से अधिक नहीं इस संदर्भ में चिनियमन 5 में बताये गये विवेकपूर्ण मानक के सम्बन्ध में।</p> <p>क. अनुमोदित निवेश तथा अन्य निवेश ('(iii) क' में से अन्य निवेश जिसे अधिनियम की 27अ (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है। फंड से 15% से अधिक नहीं होगा)</p> <p>ख. कय तथा अभिदत्त के लिए निवेश गहननिर्माण में तथा संरचना में :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. हुडको तथा राष्ट्रीय आवास बैंक के बांड / हिबेंचर 2. आवास वित्त पोषण कंपनियों के बांड / हिबेंचर या तो राष्ट्रीय आवास बैंक से मान्यता प्राप्त हो गृह निर्माण गतिविधियों के लिए अथवा भारत सरकार से गारंटी प्राप्त हो अथवा किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो सेबी द्वारा पंजिकृत हो (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमन , 1999 से चालू रेटिंग एए से कम न हो। 3- इन विनियमों के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देश को मानक संतुष्ट करें तथा सम्पत्तियों को प्रतिभूतियों के आवास ऋण से समर्थन होना चाहिये। <p>ग. ढाँचे में निवेश :</p> <p>(उदाहरण रू इस आवश्यकता के लिए बांड / हिबेंचर , इक्वीटी तथा सम्पत्ति से समर्थन प्राप्त प्रतिभूति तथा रे.खांकित छाँचागत सम्पत्तिया इस प्रयोजन के योग्य होगी।</p> <p>' ढाँचागत सुविधाएँ ' बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजिकरण) संशोधित 2008 के विनियमन 2 खंड (एच) के अर्थों में होगा।</p>	<p>निधि से 35% अधिक नहीं</p> <p>निधि से 15% से कम नहीं [(iii) ख तथा ग को साथ लेते हुए]</p>

(2) पेंशन तथा साधारण वार्षिकी व्यवसाय - सभी बीमाकर्ता निवेश करेंगे तथा प्रत्येक समय निवेशरत रहेंगे उन निधियों में जो पेंशन व्यवसाय, साधारण वार्षिकी व्यवसाय में अधोलिखित प्रकार निवेश करेंगे:-

संख्या	निवेश का प्रकार	प्रतिशत
(i)	सरकारी प्रतिभूति	निधि के 20 % से कम नहीं
(ii)	सरकारी प्रतिभूति अथवा अन्य मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियाँ	निधि के 40 % से कम नहीं (शामिल (i) उपरोक्त)
(iii)	विनियमन 5 की अनुसूची ८ में बताये गये विवेकपूर्ण मानक के सम्बन्ध में अ विशेष को अनुमोदित निधि में निवेश होगा।	निधि से 60 % अधिक नहीं

टिप्पण : बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 ए (2) में निविष्ट किये गये "अन्य निवेश " में कोई भी निवेश सह विनियम के प्रयोजन के लिए कोई भी निवेश नहीं होगा। फिर भी निधि जिनका सम्बन्ध ग्रुप बीमा व्यवसाय से है एक वर्ष के पुनर्नवीकरण शुद्ध ग्रुप एगोरेंस व्यवसाय को छोड़ कर, पेंशन तथा साधारण वार्षिकी निधि ओवाईआरजीटीए निधि का भाग बनेगा तथा जीवन व्यवसाय में निवेश के पेटन पर चलेगा।

(3) युनिट लिंक बीमा व्यवसाय:- सभी बीमा कर्ता निवेश करेंगे तथा निवेशित रहेंगे अपने पृथक्कृत निधि जो युनिट लिंक बीमा निधि उस पेटेंट पर जो पालसी धारक के लिए अनुमादित कि गई है जहाँ युनिटों को सम्बन्ध किया गया है उन सम्पत्तियों की श्रेणी जो विक्रेय हैं तथा आसानी से प्रापणीयता हैं। फिर भी कुल निवेश अन्य निवेश में, जो बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 ए (2) में निर्दिष्ट किये गये हैं किसी समय भी उन निधियों का 25 % से अधिक नहीं होगा।

4. निवेश पर विनियमन

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 4 को अधोलिखित से परिवर्तित किया जायेगा।

4 (1) साधारण बीमा व्यवसाय : अधिनियम की धारा 27 ख से बिना पूर्वग्रह के, सभी बीमाकर्ता जो साधारण बीमा करते हैं, निवेश करेंगे तथा निवेश में रहेंगे निम्न लिखित प्रकार से :-

संख्या	निवेश का प्रकार	प्रतिशत
(i)	सरकारी प्रतिभूति	निवेश सम्पत्ति के 20 % से कम नहीं
(ii)	सरकारी प्रतिभूति अथवा अन्य मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियाँ	निवेश सम्पत्ति 30 % से कम नहीं (शामिल (i) उपरोक्त)
(iii)	बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 ब में विनिर्दिष्ट निवेश तथा विनियमन 5 तथा अनुच्छेद में बताये गये विवेकपूर्ण मानक तथा जोखिम क्षमतां। क. अनुमादित तथा अन्य निवेश ('(iii) क' में से अधिनियम की धारा 27B(3) के अन्तर्गत निवेश सम्पत्ति निवेश से 25% से अधिक नहीं होगा) ख. राज्य सरकारों से ऋण तथा गृह निर्माण, गृह निर्माण तथा अग्नि रोधक संयन्त्र के लिये अभिदत्त तथा कय के लिए द्वारा : 1.राष्ट्रीय आवास बैंक तथा हूउको के बांड तथा हिबेंचर 2.बांड तथा हिबेंचर आवास ऋण कंपनियों के जिनको या तो राष्ट्रीय आवास बैंक से गृह गतिविधियों के लिए मान्यता प्राप्त हो अथवा सरकार द्वारा गारंटी अथवा सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेसी) विनियम , 1999 के अन्तर्गत पंजीकृत रेटिंग एजेसी से कक की रेटिंग प्राप्त हो । 3.सम्पत्तियों से समर्थत प्रतिभूति के साथ आवास ऋण, इस विनियमन के अन्तर्गत मानकों को संतुष्ट करते हुए। ग. ढाँचों गत क्षेत्र में निवेश : (स्पष्टीकरण : अभिदान या इक्वीटी, हिबेंचर बाछ की खरीद तथा प्रतिभूति से संरक्षित संपत्ति के साथ आधार में ढाँचागत सम्पत्ति इस प्रयोजन के लिए अर्हक होगी । बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) संशाधित विनियमन 2008) के विनियमन 1 का 2 उपखंड (एच) में दिये गये छौँचा गत सुविधा का अर्थ ।	55% से अधिक नहीं 5% से कम नहीं 10% से कम नहीं

2) पूर्णबीमा व्यवसाय - सभी पूर्णबीमाकर्ता जो भारत में पूर्णबीमा करते हैं, निवेश करेंगे तथा सदा निवेश में रहेंगे अपने निवेश संपत्तियों उसी प्रकार से जैसा की उप विनियमन (1) में बताया गया है उस समय तक, जबकि प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अलग विनियम बनाये जायें।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 4 की धारा (2) के अन्त में नोट संलग्न हैं उन्हें अद्योलिखित से परिवर्तित किया जायेगा:-

टिप्पण - विनियमन 3 तथा 4 के प्रयोजन के लिए

1. सम्पत्तियों तथा मुद्रा लिखत में सभी निवेश जिनको बाजार की प्रथा के अनुसार रेटिंग किये जाने कि क्षमता है, कोई भी निवेश मुद्रा लिखत में नहीं होनी चाहिये यदि यह मुद्रा लिखत रेटिंग किये जा सकते थे लेकिन रेटिंग नहीं किये गये।
2. सेबी के (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमन 1999 के अन्तर्गत पंजिकृत रेटिंग एजेंसी से ही रेटिंग प्राप्त की जानी चाहिये।
3. सेबी के (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमन 1999 के अन्तर्गत पंजिकृत रेटिंग एजेंसी से रेटिंग प्राप्त निगमित बांड अथवा डिबेंचर जिनको एए से कम रेटिंग न दी गई हो तथा वह पी I के समकक्ष न हो लघु अवधि के बांड, डिबेंचर, जमा प्रमाण पत्र अथवा वाणिज्य प्रपत्र के लिए।
4. रेटिंग जिसे अखिल भारतीय वित्तिय संस्था जिसे जैसे आरबीआई से मान्यता हो के एए अथवा बराबर रेटिंग मान्य होगी। यदि इस श्रेणी का निवेश विकल्प निवेश करने वाली बीमा कंपनी के पास उपलब्ध न हो तथा निवेश करने वाली बीमा कंपनी की निवेश समिति इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो तो इसके कारणों को निवेश कंपनी के कार्यवृत्त में रिकार्ड किया जाना चाहिये। निवेश कंपनी निवेश को अनुमोदित कर सकती है जिसकी चालू रेटिंग ए + से कम न हो अथवा बराबर हो जैसा की रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग की गई हो जो कि सेबी के (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमन 1999 के अन्तर्गत पंजिकृत रेटिंग एजेंसी से प्राप्त हो को ' अनुमोदित निवेश ' कहा जायेगा।
5. अनुमोदित निवेश उपरोक्त के बिन्दु 3 तथा 4 के अन्तर्गत, जोकि निचे कम किये गये हो के लिए न्यूनतम रेटिंग नोंयत की गई है उसे अपने आप से पुन श्रेणीबद्ध ' अनुमोदित निवेश ' निवेश पेटर्न में किया जायेगा।
6. किसी पंजीकृत शेयर बाजार में सूचीबद्ध इक्विटी निवेश सक्रिय रूप से विक्रेय तथा तरलता पुर्ण लिखत जैसे, इक्विटी शेयर उन को छोड़ कर जो सेबी विनियमों तथा मार्ग निर्देशों के अनुसार जो म्यूचुवल फंड को नियमन करने के लिए सेबी द्वारा समय समय पर जारी की जाती है, में लघु रूप से विक्रेय होते है।
7. ऋण लिखत में 75% से कम नहीं जिसमें शामिल नहीं है सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूति- फंड के अनुसार, जीवन बीमाकर्ता तथा निवेश सम्पत्तियों के मामले पर साधारण बीमाकर्ता को एएए रेटिंग अथवा उसके समकक्ष लम्बे समय के लिए तथा पी I अथवा समकक्ष छोटे समय के निवेश के लिए। यह यूलिप फंडस पर भी लागू होगा।
8. तथापि उपरोक्त संदर्भ में यह बल दिया जाता है कि बीमाकर्ता की तरफ से रेटिंग को उचित जोखिम विश्लेषण तथा प्रबन्ध से बदला नहीं जायेगा। बीमाकर्ता को जोखिम विश्लेषण करना होगा जोकि अनुपातिक होगा उत्पादों की जटिलता के अनुसार तथा उनको रखने की पदार्थता के अनुसार अथवा ऐसे निवेश से निवृत्त रहना होगा।

5. अरक्षितता / विवेकसम्मत मानदण्ड

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 5 को अद्योलिखित से परिवर्तित किया जायेगा।

अरक्षितता / विवेकसम्मत मानदण्ड

अधिनियम की धारा 27क तथा 27 ख से बिना पूर्वग्रह के, सभी बीमाकर्ता अपने निवेश को सीमित करेंगे निम्न लिखित अरक्षितता मानदण्ड के अनुसार अरक्षितता मानदण्ड जीवन के लिए (यूलिप सहित), साधारण बीमा (जिसमें पुनबीमा शामिल है) व्यवसाय दोनों के लिए अनुमोदित निवेश बीमा अधिनियम 1938, अधिसूचना I तथा II विनियम तथा अन्य निवेश जोकि बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 ए (2) तथा 27 बी (3) में स्वीकार्य है।

निवेश का प्रकार (1)	'निवेशीक' कंपनी के लिए सीमा (2)	'निवेशीक' कंपनी के पुरे ग्रुप के लिए सीमा (3)	'निवेशीक' कंपनी जिस क्षेत्र से सम्बन्ध रखती है उसकी सीमा (4)
क. इक्वीटी, अधिमान, परिवर्तन डिबेंचर में निवेश	बकाया इक्वीटी शेयर का 10 प्रतिशत अंकित मूल्य द्व अथवा सम्बन्धित निधि का 10 प्रतिशत जीवन बीमाकर्त्ता के मामलों में साधारण बीमाकर्त्ता के मामलों में निवेश सम्पत्ति (पुर्नबीमा सहित) जो भी कम हो ।	जीवन बीमा के लिए निधि सम्बन्धित निधि का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं साधारण बीमा कर्ता के मामले में (जिसमें पुर्नबीमाकर्ता शामिल है) .	किसी बीमाकर्त्ता द्वारा किया गया निवेश किसी भी औजोगिक क्षेत्र में कुल निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । किसी भी औजोगिक क्षेत्र में सम्पूर्ण ।
ख. क के अतिरिक्त डिबेंचर ऋण तथा अन्य मान्यता प्राप्त निवेश में निवेश अधिनियत अथवा विनियमन के अनुसार	देय पूँजी का 10 प्रतिशत मुक्त आरक्षित तथा निवेशित कं. के डिबेंचर बांड अथवा सम्बन्धित निधि का 10 प्रतिशत जीवन बीमाकर्त्ता के मामलों में निवेश सम्पत्ति साधारण बीमाकर्त्ता के मामले में (पुर्नबीमा सहित) जो भी कम हो ।	उपरोक्त मामलों में प्रतिशत 25 होगा यदि यूनिट लिंक निधि हो ।	युनिट लिंक निधि की अवस्था में उपरोक्त प्रतिशत 25 से अधिक नहीं होगा (औजोगिक क्षेत्र का वर्गीकरण बीमाकर्त्ता द्वारा उन दिशानिर्देशों द्वारा किया जायेगा जो राष्ट्रीय औजोगिक वर्गीकरण कूट अतिरिक्त प्रोदशिक संगठनों द्वारा किया जाता है तथा भारत में जिसकी संस्थाएँ (एन आई सी) अथवा अन्य कोई प्रणाली जो एन आई सी का वर्गीकरण अपनाता है ।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 5 के अन्त में दिये नोट को अद्योलिखित से परिवर्तित किया जायेगा ।

टिप्पणः

1. इक्वीटी, प्रेफेन्स शेयर, तथा ऋण सभी में सम्बन्धित फंड का 50% से अधिक नहीं होना चाहिये। जैसा की उपरोक्त तालिका में बताया गया है ।

2. बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 ए (1) (एन) से अधिक नहीं होना चाहिये निवेश करते समय 5% (क) निवेश सम्पत्ति साधारण बीमा के मामले में तथा (ख) निवेश सम्पत्ति निधि का 5% जीवन निधि, पेंशन, तथा साधारण वार्षिक व्यवसाय जीवन बीमाकर्ता के मामले में ।

3. उपरोक्त सूची में दी गई अरक्षितता कोई बीमाकर्ता अधिक निवेश नहीं कर सकता :

i) प्रोहत्साहको ग्रुप द्वारा सम्बन्धित कंपनियों के लिए कुल निवेश का 5 प्रतिशत । यदि जीवन, पेंशन, तथा साधारण वार्षिकी निधि अथवा साधारण बीमा निधि के लिए हो तथा :

ii) प्रोहत्साहको ग्रुप द्वारा सम्बन्धित कंपनियों के लिए कुल निवेश का 12.5 प्रतिशत । यदि युनिट लिंक बीमा के बाहर से निवेश किया गया हो ।

इन विनियमों के प्रयोजन के लिए श्रुप ६ से अभिप्राय वही है जो इन विनियमों में परिभाषित किया गया है ।

4. जीवन, पेंशन तथा साधारण वार्षिकी व्यवसाय के लिए साधारण बीमा व्यवसाय का प्रतिशत ग्रुप अथवा इंडस्ट्री का का 10 प्रतिशत होगा । निवेश कमेटी के पहले से अनुमोदन के बाद इसे 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है । निवेश कमेटी को अच्छा रखरखाव यह ध्यान में रखते हुए की सम्बन्धित सम्पर्क तथा सम्बन्धित जोखिम पालसी धारक के हित में ही हो । जो, खिम क्षमता के मानक जो निवेश से सम्बन्ध रखते हैं जिसके लिए विशेष परिपत्र या दिशानिर्देश जारी किये गये वह उसी परिपत्र या दिशानिर्देशों से निर्देशित होगा ।

5. सभी बीमाकर्त्ताओं के लिए जोखिम सीमा वित्तिय तथा बैंकिंग क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत होगी ।

6. मियादी जमा में निवेश, सावधि जमा तथा शैड्यूल बैंक से प्राप्त जमा का प्रमाणपत्र बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27क (9) तथा 27 ख (10) के प्रावधानों के अनुसार होगा। ऐसे निवेश को बैंकिंग क्षेत्र में फैला जोखिम माना जायेगा। फिर भी ऐसी मियादी जमा में मियादी जमा के प्रमाणपत्र जो उस बैंक के अन्तर्गत आते हैं जो प्रोहत्साहक के ग्रुप के अन्तर्गत है वह प्रोहत्साहक के ग्रुप फैलाव मानक के अन्तर्गत रहेगा जो इस विनियमन का बिन्दु 3 है।

6. बीमाकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली विवरणियाँ

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 6 को अधोलिखित से परिवर्तित किया जायेगा:-

6. प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण को अधोलिखित विवरणियाँ उन समय में, उस अंतराल में तथा सत्यापित / प्रमाणित इस प्रकार करेगा जैसा को यहाँ पुनः बताया गया है

संख्या	से	विवरण	विवरणी की समयावधि	जमा करने की समय सीमा	सत्यापन / प्रमाणिकरण कर्ता
1	फार्म 1	निवेश की विवरणिका तथा निवेश पर आय	तिमाही	तिमाही पुरी होने के 45 दिन के भीतर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी / निवेश के मुख्य अधिकारी
2	फार्म 2	कम आकलित किये गये निवेश की विवरणिका	तिमाही	तिमाही पुरी होने के 45 दिन के भीतर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी / निवेश के मुख्य अधिकारी
3	फार्म 3 अ (भाग क, ख, ग,)	निवेश की विवरणिका जीवन बीमा) – अनुपालन रिपोर्ट	तिमाही	तिमाही पुरी होने के 45 दिन के भीतर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी / निवेश के मुख्य अधिकारी
4	फार्म 3ख	निवेश की विवरणिका (साधारण बीमा) – अनुपालन रिपोर्ट	तिमाही	तिमाही पुरी होने के 45 दिन के भीतर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी / निवेश के मुख्य अधिकारी
5	फार्म 4	जोखिम क्षमता तथा अन्य मानक तिमाही अनुपालन प्रमाणपत्र	तिमाही	तिमाही पुरी होने के 45 दिन के भीतर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी / निवेश के मुख्य अधिकारी तथा वित्त के मुख्य अधिकारी
6	फार्म क (भाग क, ख, ग)	निवेश की विवरणिका निवेशित कं. के जोखिम क्षमता मानक	तिमाही	तिमाही पुरी होने के 45 दिन के भीतर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी निवेश के मुख्य अधिकारी
7	फार्म 5	निवेश की विवरणिका लेखा समाधान	तिमाही	तिमाही पुरी होने के 45 दिन के भीतर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी / निवेश के मुख्य अधिकारी
8	फार्म 5अ	म्यूचुअल निधि में निवेश की विवरणिका	तिमाही	तिमाही पुरी होने के 45 दिन के भीतर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी / निवेश के मुख्य अधिकारी
9	फार्म 6	बीमा अधिनियम 1938 की धारा 28 (2क), 28 (2ख) तथा 28ख (3) के अन्तर्गत विवरण	तिमाही	तिमाही पुरी होने के 45 दिन के भीतर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी / निवेश के मुख्य अधिकारी

संख्या	से	विवरण	विवरणी की समयवधि	जमा करने की समय सीमा	सत्यापन / प्रमाणिकरण कर्ता
10	फार्म 7	पुष्टिगत निवेश पोर्टफोलियो का विवरण	तिमाही	तिमाही पूरी होने के 45 दिन के भीतर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी / निवेश के मुख्य अधिकारी
11	फार्म 7अ	गैर निष्पादन संपत्तियों का विवरण	तिमाही	तिमाही पूरी होने के 45 दिन के भीतर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी / निवेश के मुख्य अधिकारी

टिप्पण: मार्च में समाप्त तिमाही के लिए सभी विवरणियों उपरोक्त समय अवधि में अनंतिम सांख्यिकी के आधार पर तथा बाद में पुनं जमा लेखा परिक्षा के बाद निदेशक मंडल द्वारा लेखा को स्वीकार करने के 15 दिन के भीतर जमा करवानी होगी।

7. निवेश समिति का गठन

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिवेश) विनियम, 2008 के विनियम 9 को अद्योत्तिष्ठित से परिवर्तित किया जायेगा।

निवेश प्रबन्धन का संगठनात्मक ढाँचा

1. सभी बीमाकतओं को एक निवेश समिति बनानी होगी जिसमें बीमाकर्ता के कम से कम दो गैर कार्यकारी निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त प्रधान, निवेश प्रधान, और जहाँ कहीं भी नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति की गई हो वह शामिल होंगे। निवेश समिति द्वारा लिए गए निर्णय को रिकार्ड किया जाए तथा वह प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए निरीक्षण के लिए खुली रखी जाए।

2. सभी बीमाकतओं को एक एक वार्षिक निवेश निति बनानी होगी (युनिट लिंक व्यवसाय के सम्बन्ध में निधि अनुसार पालसी) तथा उसे निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखना होगा। ऐसी पालसी बनाते समय निदेशक मंडल को निम्न लिखित के अनुपालन पर ध्यान देना चाहिये।

(i) तरलता, विवेकपूर्ण मानदंड, अक्षितता सीमा, सम्पत्तियों/देयता का प्रबन्धन, अन्तरिक विषय-क्षेत्र अथवा निवेश की लेखा परिक्षा तथा निवेश सांख्यिकी तथा अन्य सभी आंतरिक नियन्त्रण निवेश प्रधानलन बीमा अधिनियम 1938 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के अन्तर्गत मार्गदर्शन तथा विभिन्न प्रपत्र विनियम के से सम्बन्धित मामलों।

(ii) पालसीधारक के लिए पर्याप्त प्रतिफल तथा अंशधारक निधि में शामिल होगा संरक्षण, सुरक्षा, तथा तरलता इन निधियों की।

(iii) बीमाकतओं की निधि निवेश होगी तथा लगातार निवेश होती रहेगी इक्विटी ग्रेड, इक्विटी सम्बन्धित लिखत तथा ऋण लिखत जोकि निचे दिये गये विनियमन 4 के अनुसार रेटिड हो किसी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा, जो सेबी के अन्तर्गत पंजिकृत हो (क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी) विनियमन 1999, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27अ(2) तथा 27ब (3) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 'अन्य निवेश' के लिए निदेशक मंडल पालसीधारक के हितों, निधि सुरक्षा तथा तरलता को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट मानदंड तय करे।

3. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई निवेश निति को निवेश समिति द्वारा लागु किया जाना चाहिये, समिति को निदेशक मंडल को तिमाही आधार पर गतिविधियों तथा निधि के कार्य-संपादन की जानकारी दी जानी चाहिये।

4. निदेशक मंडल पुनरीक्षण करे निवेश पालसी का तथा उसके अनुपाल का अर्धवार्षिक आधार पर अथवा ऐसी समय अवधि जैसी निर्धारित की गई हो तथा निवेश निति में ऐसे परिवर्तन करेगा जो अधिनियम तथा विनियमन में दिये गये निवेश प्रावधानों के अनुसार आवश्यक हो। पालसी धारक के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा ऐसे निवेश पैटर्न निवेश जोकि विनियमनों में दिये गये हैं अथवा पालसीधारक से किये गये समझौते की शर्तों के रूप में हैं, युनिट लिंक बीमा व्यवसाय के सम्बन्ध में।

5. आईपी का विवरण अथवा पुनरीक्षण जैसा की निवेशक मंडल द्वारा निर्धारित आवधिकता के अनुसार निर्धारित किया गया अंतरिक अथवा असमवर्ती लेखा परिक्षक को उपलब्ध करवाया जायेगा। लेखा परिक्षकों उसके निवेश प्रचालन पर प्रभाव, प्रणाली तथा प्रक्रिया ऐसे पुनरीक्षण पर टिपणणी कर सकते हैं जो रिपोर्ट निदेशक मंडल लेखा परिक्षा कमेटी के समक्ष रखी जाती है।

6. बीमाकर्ता के आंतरिक नियन्त्रण तथा निवेश कार्य तथा प्रचालन को समुचित रूप से सुनिश्चित करने के लिए यह अलग अलग स्पष्ट किया जाए कि कार्यालय प्रचालन की प्रत्यक्ष सीमा, मध्य सीमा तथा पिछली सीमा के कौन से कार्य हैं।

7. प्राधिकरण जैसा आवश्यक समझे समय समय पर आगे की सूचना बीमाकर्ता से माँग सकती है तथा पालसी धारक के हित में ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह अवश्यक समझे।

वित्तिय डेरोवेटिव से व्यवहार

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 11 की धारा (2) को निम्नलिखित से परिवर्तित किया जायेगा।

बीमाकर्ता द्वारा कोई भी मार्जिन अथवा गैर परिशोधन प्रिमियम वित्तिय डेरोवेटिव के सम्बन्ध में उस हद तक जिसे बीमाकर्ता के तुलन पत्र में संपत्ति स्थिति को प्रदर्शित करता हो उसके अनुसार जो दिशानिर्देश प्राधिकरण ने जारी किये हैं उन्हें 'अनुमोदित निवेश' समझा जाएगा इन विनियमों की अनुसूची I तथा अनुसूची II के अन्तर्गत, किसी निवेश के लिए डेरोवेटिव स्थिति के हेंज होने पर अथवा इन विनियमों के अन्तर्गत पोर्टफोलियों जो अपने आप में ही अनुमोदित निवेश समझा जायेगा। अन्य सभी मार्जिन अथवा गैरपरीशोधित प्रिमियम भुगतान किये गये हों उस हद तक जितना बीमाकर्ता के तुलन पत्र में बताया गया हो प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए को 'अन्य निवेश' में शामिल किया जायेगा।

9. अनुसूची I

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 अनुसूची I को निम्नलिखित से परिवर्तित किया जायेगा।

अनुसूची I (देखें विनियम 3)

जीवन व्यवसाय से सम्बन्धित अनुमोदित विनिवेश सूची

अधिनियम की धारा 27 ए के अन्तर्गत अनुमोदित विनिवेश में अद्योलिखित शामिल होगा:

क) अधिनियम की धारा 27 ए के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सभी निवेश अपवाद

(i) अधिनियम की धारा 27 ए के अन्तर्गत खंड (ख) के उपखंड (1) में:

(ii) अन्य किसी देश में स्थित अचल संपत्ति जिसका प्रथम बंधक किया गया हो जैसा की अधिनियम की धारा 27 ए के अन्तर्गत उपखंड (1) के वाक्यांश (एम) में बताया गया है।

(iii) अन्य किसी देश में स्थित अचल संपत्ति जैसा की अधिनियम की धारा 27 ए के अन्तर्गत उपखंड (1) के वाक्यांश (एन) में बताया गया है।

ख. अधिनियम की धारा 27 क की उपधारा (1) में दिये गये वाक्यांश के अनुसार प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट शक्तियों के अनुसार निवेश के अतिरिक्त निचे दिये गये निवेश अनुमोदित निवेश ही माने जायेंगे।

(ii) बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार सभी बंधक ऋण बंधक रिबेचर, बंधक बॉड, तथा अन्य ऋण लिखत जिनको नोट के अनुसार रेटिंग दी गई है जो विनियमन 3 तथा 4 को बदलता है। इक्वीटी तथा प्राथमिक

शेयर तथा डिबेंचर लिखत जिन्हें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने जारी किया है जिनको भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त है - निवेश को निवेश निति दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिये। बेचमार्क तथा जोखिम विस्तार मानक के अन्तर्गत, सीमा जिसे बीमाकर्त्ता के निर्देशिक मंडल ने अनुमादित किया हो।

- (ii) बांड तथा डिबेंचर जिन्हें उन कंपनियों द्वारा जारी किया गया हो जिनकी रेटिंग कक से कम नहीं है या इसके बराबर है तथा पी 1 अथवा समकक्ष रेटिंग छोटे समय के बांड के लिए है, डिबेंचर, जमा के प्रमाणपत्र तथा वाणिज्यक पत्र किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जो सेबी के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमन 1999 के अन्तर्गत हो को अनुमादित निवेश माना जायेगा।
- (iii) बीमाकर्त्ता के निर्देशिक मंडल द्वारा अनुमादित मानकों तथा सीमाओं को ध्यान में रखते हुए जमा, जिनमें बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 क (9) के सावधि जमा शामिल है (जो कि चालू खाते में हो, काल जमा, नोटिस जमा, जमा का प्रमाण पत्र इत्यादि) को फिलहाल शामिल किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) के दूसरे खण्ड में तथा उसे जमा किया गया प्राथमिक हिलर के पास जिसे भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त है।
- (iv) समर्थक उधार तथा उसे चढ़ाने की बाध्यता (सीबीएलओ) जिसकी स्थापना क्लेरिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा की गई है तथा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भण्यता प्राप्त है तथा जिसका फेलाव गिल्ट, जी संक, तथा तरल म्यूचवल निधि से है तथा वह अनुमादित निवेश का भाग है जो की विनियमन से इस सम्बन्ध में जारी किये गये के अनुसार म्यूचवल निधि निर्देश है जो कि एक धन बाजार लिखत ६ निवेश है।
- (v) बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजिकरण) संशाधित विनियमन 2008 के विनियमन 2 की धारा (एच) के अन्तर्गत सम्पत्तियों प्रतिभूति से समर्थित तथा गृह ऋण के साथ अथवा जिनमें टॉचागत संपत्तिया है उन्हें ढॉचा गत सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है
- (vi) किसी कंपनी द्वारा जारी किये गये वाणिज्यक पेपर अथवा अखिल भारतीय संस्था जिसको भारतीय रिजर्व बैंक अथवा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा (सेबी के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमन 1999 के अन्तर्गत हो का अनुमादित निवेश
- (vii) इस विनियमन के विनियमन 2 गग द्व में परिभाषित धन बाजार लिखत।

स्पष्टीकरण -

1. नोट में शामिल सभी शब्द 'संलग्न' विनियमन 3 तथा 4 का अनुपालन किया जायेगा।

10. अनुसूची II

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 अनुसूची II को निम्नलिखित में परिवर्तित किया जायेगा।

अनुसूची II (देखें विनियम 3)

साधारण बीमा व्यवसाय से सम्बन्धित अनुमादित निवेश सूची

अधिनियम की धारा 27 ख अन्तर्गत अनुमादित निवेश में अधोलिखित शामिल होगा:

क. अधिनियम की धारा 27 ख में दिये गये सभी निवेश स्वीकार्य है अपवाद :

- (i) अधिनियम की धारा 27 ए के अन्तर्गत खंड (ख) के उपखंड (1) में:

(ii) अन्य किसी देश में स्थित अचल संपत्ति जिसका प्रथम बंधक किया गया हो जैसा की अधिनियम की धारा 27 ए के अन्तर्गत उपखण्ड (1) के वाक्यांश (एन) में बताया गया है।

(iii) अन्य किसी देश में स्थित अचल संपत्ति की धारा 27 ख के अन्तर्गत उपखंड (1) में बताया गया है।

ख. अधिनियम की धारा 27 ख की उपधारा (1) में दिये गये वाक्यांश के अनुसार प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट शक्तियों के अनुसार निम्न निवेश के अतिरिक्त निवेश को निवेश किया गया ही माना जायेगा।

(i) बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार सभी बंधक ऋण डिबेंचर, बंधक बांड तथा अन्य ऋण लिखत जिनको नोट के अनुसार रेटिंग दी गई है जो विनियमन 3 तथा 4 को बदलता है। इक्विटी तथा प्राथमिक शेयर तथा डिबेंचर लिखत जिन्हें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने जारी किया है।

(ii) जिनको भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त है। निवेश को निवेश निति दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिये। बेंचमार्क तथा जॉखिम विस्तार मानक के अन्तर्गत, सीमा जिसे बीमाकर्ता के निदेशक मंडल ने अनुमोदित किया हो।

(iii) बांड तथा डिबेंचर जिन्हें उन कंपनियों द्वारा जारी किया गया हो जिनकी रेटिंग कक से कम नहीं है या इसके बराबर है तथा पी 1 अथवा समक्ष रेटिंग छोटे समय के बांड के लिए है, डिबेंचर जमा के प्रमाण पत्र तथा वाणिज्यक पत्र किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जो सेबी के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विनियमन 1999 के अन्तर्गत हो को अनुमोदित निवेश माना जायेगा।

(iv) बीमाकर्ता के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मानकों तथा सीमाओं को ध्यान में रखते हुए जमा (जिनमें बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 (10) के सावधि जमा शामिल हैं) बैंक के साथ (जो चालू खाते में हो, काल जमा, जमा का प्रमाण पत्र इत्यादि) को फिलहाल शामिल किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) के दूसरे खण्ड में तथा उसे जमा किया प्राथमिक हिलर के पास जिसे भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त है।

(v) समर्थक उधार तथा उसे चढ़ाने की बाध्यता, सीबीएलओ, जिसकी स्थापना क्लेरिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा की गई है तथा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा जिसका फैलाव गिल्ट, जी सेक तथा तरल म्यूचुअल निधि निर्देश है जो कि एक धन बाजार लिखत निवेश है।

(vi) बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) संशोधित विनियमन 2008, की धारा (एच) के अन्तर्गत सम्पत्तियों प्रतिभूति से समर्थित तथा गृह ऋण के साथ अथवा जिनमें ढाँचागत संपत्तियां है उन्हें ढाँचागत सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है।

(vii) किसी कंपनी द्वारा जारी किये गये वाणिज्यक पेपर अथवा अखिल भारतीय संस्था जिसको भारतीय रिजर्व बैंक अथवा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जो सेबी के (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमन 1999 के अन्तर्गत हो का अनुमोदित निवेश।

(viii) विनियमन के विनियमन 2 (गग) में परिभाषित धन बाजार लिखत।

स्पष्टीकरण

1. नोट में शामिल सभी शर्तें "संलग्न" विनियमन 3 तथा 4 का अनुपालन किया जायेगा।

कंपनी का नाम तथा फ़ूट
 विभाग
 निवेश का विवरण तथा निवेश से प्राप्त आय
 निवेदन प्रस्तुतीकरण की अवधि: त्रिमासिक

पट्ट क नाम

क्रमांक	निवेश का प्रवर्ग	प्रवर्ग कूट	चातुः त्रिमासी			वर्ष से दिनांक			गत वर्ष			रूपये लाख में
			निवेश (रु.)	निवेश से प्राप्त आय (रु.)	सकल आय (%) ¹	निवेश (रु.)	निवेश से प्राप्त आय (रु.)	सकल आय (%) ¹	निवेश (रु.)	निवेश से प्राप्त आय (रु.)	सकल आय (%) ¹	
			कुल									

अतिप्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि दी गयी जानकारी सही तथा पूर्ण है तथा उसे निशाम से इसमें कुछ भी निरूद्ध या रह नहीं हुआ है।

दिनांक:

हस्ताक्षर
 पूर्ण नाम तथा पदनाम

टिप्पणी निवेश का प्रवर्ग (सीओआई) मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए।

1 निवेश का बंटवारा एवरेज मात्र अथवा उससे कम की संभावना के अनुसार परिकल्पना करें।

2 कर के लिए शुद्ध लाभ

3 हर पट्ट के निवेश वर्ग / को बनाएं।

फॉर्म 2

कंपनी का नाम तथा कूट

विवरण

अधोमुखी क्रमिक निवेश का विवरण

निवेदन प्रस्तुतीकरण की अवधि: त्रिमासिक

फंड का नाम

रुपये लाख में

क्रमांक	प्रतिभूति का नाम	सीओआई	राशि	अन्य तिथि	अन्य निर्धारण एवेंस	वार्षिक क्रम	चालू क्रम	अधोमुखी क्रम की तिथि	अभ्युक्तिवर्ष
---------	------------------	-------	------	-----------	---------------------	--------------	-----------	----------------------	---------------

A. विग्राही में 1B. तिथि तक 2

अतिप्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि दो गरी जनकारी सही तथा पूर्ण है तथा सं विकास से इसमें कुछ भी निरूद्ध या रू नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर

पूर्ण नाम तथा पदनाम

दिनांक:

टिप्पणी

- 1 विग्राही के दौरान किये गये अधोमुखी क्रमिक निवेश की जानकारी
- 2 चालू विग्राही में किये गये चोट उवरत निवेश को पूर्व विग्राही में किये गये अधोमुखी क्रमिक निवेश के आध्यात्मिक मूनी से कट दे।
- 3 हर फंड के लिये फॉर्म 2 को भराये।
- 4 निवेश का प्रमाण आइएनबी (सीओआई) - नॉनकाम - 001/2003-4 के अनुसार

पृ. 13, 30

कंपनी का नाम तथा कूट

विवरण:

संपत्ति निवेश का विवरण (जीवन बीमा)

(भारत में व्यापार)

निवेदन प्रस्तुतीकरण की अवधि: त्रिमासिक

अनुसूची

रूपचे लागू में

तुलन पत्र के अनुसार कुल प्रयोग (ए)

0

निर्देशित संपत्ति का सप्लाई

निर्देशित संपत्ति (तुलन पत्र के अनुसार)

0

जोड़े: बी

उपबंध

सूची-14

तुलन पत्र का मूल्यांकन

चासू दायित्व

सूची-13

A जीवन फंड

0

B सेवानिवृत्ति तथा सामान्य वार्षिकी जमा राशि फंड

C युनिट लिंकड फंड्स

0

घटाये: सी

नगम एवं शानि खाते में व्याज एवं कर पूर्व अर्जन राशि

इस

सूची-09

अंशम तथा अन्य सर्वाणियों

सूची-12

नगद तथा बैंक राशि

सूची-11

चासू संपत्ति

सूची-10

नहीं किये गये अन्य खर्च

सूची-15

निवेश के लिये उपलब्ध फंड

0

जीवन लिंकड ब्यापार

क. जीवन फंड

	एचएच		पीएच		बड़ी मूल्य (एचएच + पीएच) एक = (ए + बी + डी)	मासिक प्रतिफल	एफवीसी राशि	कुल फंड	बाजार मूल्य
	आरईजी के अनुसार प्रतिफल	शेष (ए)	एफआरएचएच (बी)	युनिट लिंकड-नोन युनिट रेस (सी)					
1 सामान्य प्रतिपूर्तियाँ	25% से कम नहीं								
2 सामान्य प्रतिपूर्तियों तथा अन्य घर्षाणय की गयी प्रतिपूर्तियाँ	50% से कम नहीं								
3 दिये गये मानदंडों के अनुसार किया गया निवेश									
a. आवासीय तथा आभारभूत मरलन	15% से कम नहीं								
b. अनुमोदित निवेश	25% से कम नहीं								
अन्य निवेश (15 प्रतिशत से अधिक नहीं)									
कुल जीवन फंड	100%								

डी. सेवानिवृत्ति सामान्य वार्षिक जमा राशि फंड

	आरईजी के अनुसार प्रतिफल	पीएच		बड़ी मूल्य	मासिक प्रतिफल	एफवीसी राशि	कुल फंड	बाजार मूल्य
		पीएआर	पीएआर नहीं					
1 सामान्य प्रतिपूर्तियाँ	20% से कम नहीं							
2 सामान्य प्रतिपूर्तियों तथा अन्य घर्षाणय की गयी प्रतिपूर्तियाँ	40% से कम नहीं							
3 अनुमोदित निवेश में से	60% से कम नहीं							
कुल सेवानिवृत्ति, सामान्य वार्षिक जमा राशि फंड	100%							

लिंकड व्यापार

डी. लिंकड व्यापार

	आरईजी के अनुसार प्रतिफल	पीएच		कुल फंड	मासिक प्रतिफल
		पीएआर	पीएआर नहीं		
1 अनुमोदित निवेश	75% से अधिक नहीं				
2 अन्य निवेश	25% से अधिक नहीं				
कुल लिंकड व्यापार फंड	100%				

अतिप्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि दी गयी जानकारी सही तथा पूर्ण है तथा मेरे विचार से इसमें कुछ भी त्रुटि या रर नहीं हुआ है।

दिनांक:

टिप्पणी

एफआरएचएच - फंड की शोधन क्षमता अंतर को प्रस्तुत करता है।
 निवेश का स्वरूप सिर्फ शोधन क्षमता फंड से संबंधित है जो एफआरएचएच को प्रस्तुत करते हैं।
 वहीं मूल्य में उसा फंड को नहीं लिखा गया है जो शोधन क्षमता अंतर से उभरा है।
 अन्य निवेश जिस प्रकार भाग 27 ए (2) तथा 27 बी (3) बीमा अधिनियम 1938 में अनुमोदित है।

इनाक्षर

पूरा नाम

पदनाम

फार्म 3ए

यूनिट लिंकड बीमा

भाग बी

कंपनी का नाम तथा कूट फार्म 3 ए (भाग ए) के प्रवर्ग सी से सहबद्ध

निवेदन प्रस्तुतीकरण की

पीएआर / नोन पीएआर

विवरण

रूपये लाख में

विवरण	फंड 1	फंड 2	फंड 'एन'	सभी फंड का योग
व्याज				
लाभ/नुकान				
निवेश				
प्रदानकृत				
निष्पत्ती, में				
निर्देश				

फंड का	फंड 1		फंड 2		फंड 'एन'		सभी फंड का योग	
	वास्तविक निवेश	वास्तविक प्रतिशत	वास्तविक निवेश	वास्तविक प्रतिशत	वास्तविक निवेश	वास्तविक प्रतिशत	वास्तविक निवेश	वास्तविक प्रतिशत
अनुमोदित निवेश (>=75%)								
सरकारी बंधपत्र								
अंतर कंपनी बंधपत्र								
आधारभूत संरचना बंधपत्र								
सामान्य शेयर								
मुद्रा बाजार								
मयुच्युअल फंड								
बैंक में निवेश								

कुल - (B)

चालू अस्तियाँ	
व्याज	
लाभांश प्राप्य	
बैंक शेष	
निवेश के विक्रय से प्राप्य	
अन्य चालू अस्तियाँ (निवेश के लिये)	
घटाये: चालू दायित्व	
निवेश के लिए देय	
फंड प्रबंधन खर्च (बाकी)	
अन्य चालू दायित्व (निवेश के लिये)	

कुल - (C)

अन्य निवेश (<=25%)	
सरकारी बंधपत्र	
आधारभूत संरचना बंधपत्र	
सामान्य शेयर	
मुद्रा बाजार	
मयुच्युअल फंड	

कुल - (D)

की + सी
अनुसार

दिनांक:

हस्ताक्षर

पदनाम

टिप्पणी

- 1 सभी पीएआर तथा नोन पीएआर प्रवर्ग में दिये गये अलग-अलग यूनिट फंड का कुल फार्म 3ए (भाग ए) के प्रवर्ग से से मिलना आवश्यक है।
- 2 आईआरडीए (बीमांकक रिपोर्ट) अधिनियम 2000 के फार्म एलबी 2 के विषय 12 का विवरण फार्म 3 ए (भाग बी) के साथ समायोजित होना चाहिये।
- 3 अन्य निवेश जिस प्रकार भाग 27 ए (2) तथा 27 बी (3) में अनुमोदित है।

भाग सी

फार्म 3 ए
कंपनी का नाम तथा कूट
विवरण

फार्म 3 ए (भाग बी) से सहबद्ध

निवेदन प्रस्तुतीकरण की अवधि: त्रिमासिक

क्रमांक	योजना का नाम	उक्त तिथि को मान्य अस्तित्वों	उक्त तिथि को एनएवी	एलबी 2 के अनुसार एनएवी	गत त्रिमाही की एनएवी	दूसरे गत त्रिमाही की एनएवी	तृतीय गत त्रिमाही की एनएवी	वार्षिक आय / वापसी	तीन साल रोलिंग सीएजीआर
1 फंड 1									
2 फंड 2									
3 फंड एन									

योग

अतिप्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि टी गयी जानकारी सही तथा पूर्ण है तथा मेरे विश्वास से इसमें कुछ भी निरूद्ध या रद्द नहीं हुआ है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

पुरा नाम

पदनाम

फार्म 3बी

कंपनि का नाम तथा कूट

तिथि

संपत्ति निवेश का विवरण (सधारण बीमा, पुनर्बीमा)

(भारत में व्यापार)

निवेदन प्रस्तुतीकरण की अवधि: त्रिमासिक

रूपचे लाख में

क्रमांक	विवरण	एससीएच	राशि
1	निवेश	8	
2	ऋण	9	
3	अन्ततः संपत्ति	10	
4	चालू संपत्ति		
	a. मगट तथा बैंक शेष	11	
	b. अग्रिम एवं अन्य संपत्तियाँ	12	
5	चालू दायित्व		
	a. चालू दायित्व	13	
	b. उपस्थ	14	
	c. नष्टी निरुद्ध गये अन्य खर्च	15	
	d. लाभ एवं हानि खाते में व्याज एवं कर पूर्व अर्जन शेष		
	तुलन पत्र के अनुसार फंड का प्रयोग (ए)		0

घटाये: अन्य संपत्तियाँ

क्रमांक	विवरण	एससीएच	राशि
1	ऋण (गॉट है)	9	
2	अन्ततः संपत्ति (गॉट है)	10	
3	मगट तथा बैंक शेष (गॉट है)	11	
4	अग्रिम एवं अन्य संपत्तियाँ (गॉट है)	12	
5	चालू दायित्व	13	
6	उपस्थ	14	
7	नष्टी निरुद्ध गये अन्य खर्च	15	
8	लाभ एवं हानि खाते में व्याज एवं कर पूर्व अर्जन शेष		
	कुल (B)		0
	(A-B)		0

फार्म 3 बी के अनुसार निवेश संपत्तियाँ

क्रमांक	निवेश	आरंभनी %	एसएस		पीएस	बही मूल्य (एसएस + पीएस) d = (b+c)	% वार्षिक	एकवीसी राशि (e)	कुल (d + e)	बाजार मूल्य
			शेष (a)	एफआरएसएम (b)						
1	सामान्य प्रतिभूतियाँ	20% से कम नहीं								
2	सामान्य प्रतिभूतियाँ तथा अन्य इमारतों की श्रेणी प्रतिभूतियाँ	30% से कम नहीं								
3	दिये गये मानदंडों के अनुसार किया गया निवेश									
	(a) राज्य सरकार को आवासीय ऋण आवास तथा / एफएफई के लिये	15% से कम नहीं								
	(b) अनुमोदित निवेश	55% से अधिक नहीं								
	(c) अन्य निवेश (15 प्रतिशत से अधिक नहीं)									
	कुल संपत्तियों में निवेश	100%								

अतिप्रमाण

ध्यानपूर्वक किया जाना है कि ये शर्तें लागू करने वाले तथा पूर्ण है तथा मेरे विश्वास से इसमें कुछ भी विरुद्ध या वह नहीं हुआ है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

टिप्पणी

- (1) एफआरएसएम - फंड की शोधन क्षमता अंतर को प्रस्तुत करता है।
- (2) निवेश का स्वरूप 'सर्क शेयर धारक फंड' से संबंधित है जो एफआरएसएम को प्रस्तुत करते हैं।
- (3) बही मूल्य में उमा फंड को नहीं किया गया है जो शोधन क्षमता अंतर में ज्यादा है। अन्य निवेश जिस प्रकार भाग 27 ए (2) तथा 27 बी (3) में अनुमोदित है।

फार्म 4

आक्षिप्तता एवं अन्य कसौटियों - तिमाही अनुपालन एवं प्रमाण पत्र

कंपनी का नाम तथा कोड
दिनांक

क्रमांक	कसौटी जिसके लिए लागू	प्रदान / अन्य कसौटियों नियमन के अनुसार	क्या लागू कसौटियों की अनुपालन की जा रही है (हां / नहीं)	टिप्पणी
I	निवेशक कंपनी द्वारा प्रदान	<p>क. इक्विटी, अधिमान शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर्स -</p> <p>1 किसी भी समय प्रदान करना परन्तु यह आक्षिप्तता इक्विटी शेयर्स अंकित मूल्य से 10 प्रतिशत या जीवन बीमाकर्ता / निवेश संपत्ति सामान्य बीमा के क्षेत्र में 10 प्रतिशत से अधिक जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>ख. ऋण में निवेश / एक्ट के आधार पर ऋण या अन्य निवेश / विनियमन, जो कि भग क में नहीं है।</p> <p>1. किसी भी समय प्रदान करना परन्तु यह पूर्णतया युगलित शेयर पूंजी, फ्री लिबरेस या डिबेंचर्स / बॉन्ड जो कि निवेशी कंपनी का 10 प्रतिशत है तथा जीवन बीमाकर्ता / निवेश संपत्ति सामान्य बीमा के क्षेत्र में 10 प्रतिशत से अधिक जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>2. 1938 के बीमा एक्ट के आधार पर प्रदान किये जाने का विषय। इक्विटी तथा ऋण में निवेश कुल फंड अकार के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा है जीवन बीमाकर्ता / निवेश संपत्ति सामान्य बीमा के क्षेत्र में 10 प्रतिशत से अधिक जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए।</p> <p>क. किसी भी समय प्रदान करना परन्तु यह बकाया इक्विटी शेयर्स से 10 प्रतिशत या जीवन बीमाकर्ता / निवेश संपत्ति सामान्य बीमा के क्षेत्र में (पुनर्बीमा शामिल है) 25 प्रतिशत यूनिट लिंक व्याख्यान के लिए।</p> <p>1. क्या कोई अतिरिक्त आक्षिप्तता किसी फंड के पॉल प्रतियोग से अधिक नहीं है। जीवन बीमाकर्ता / निवेश संपत्ति माध्याम बीमाकर्ता के मामले में जिसमें पुनर्बीमा शामिल है ती गई है टि हों क्या इसके लिए निवेश मामलों का प्रदत्त से अनुमोदन लिया गया है?</p> <p>ख. विनियमन में आक्षिप्तता के लिये बतायी गई बीमा के होते हुये क्या बीमाकर्ता ने पॉल प्रतियोग में अधिक (12.5 प्रतिशत यूनिट लिंक व्याख्यान के मंत्रध में) निवेश किया है कुल मिलाकर उसके कुल निवेश का जो उसने प्रावधान कंपनी के रूप में निवेश किया है। इस विनियमन के प्रयोजन के लिए ग्रुप का वह अर्थ है जमा की इन विनियमों में परिभाषित किया गया है।</p>		
II	निवेशी कंपनियों का समूह (संरम आईआरडीए (निवेश) विनियम का 2 सी ए			
III	उद्योग जगत जिसमें निवेशी	क. बीमाकर्ता द्वारा निवेश / कुल मिलाकर किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में कुल आर्गनता का रम प्रतियोग में		

क्रमांक	कसौटी जिसके लिए लागू	प्रदत्त / अन्य कसौटियाँ नियमन के अनुसार	क्या लागू कसौटियों की अनुपालना की जा रही है (हाँ / नहीं)	टिप्पणी
	कंपनी संबंधित है:	अधिक निवेश नहीं बढ़ा है। ख. यूनिट लिंक व्यवसाय के संबंध में क्या बीमाकर्ता ने किसी औद्योगिक क्षेत्र (संपूर्ण क्षेत्र) में निवेश किया है, जो पंद्रह प्रतिशत से अपने कुल निवेश आरक्षितता से अधिक नहीं होना चाहिये। ग. औद्योगिक क्षेत्रों का वर्गीकरण एनआईसी (नेशनल इंडस्ट्रियल क्लॉसिफिकेशन कौड फॉर एक्सट्रा टेरिटोरियल ऑर्गनाइजेशन एण्ड वॉलडिज इन इंडिया) के अनुरूप किया गया हो तथा कोई अन्य सिस्टम जो एनआईसी क्लॉसिफिकेशन के अंतर्गत आता है।		
IV	अन्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. क्या बीमाकर्ता पूर्ण रूप से विनियमन के एक्ट 9(6) जो आईआरडीए (निवेश) के चौथे संशोधन, 2008 के अंतर्गत आता है का पूर्ण रूप से पालन कर रहा है? 2. क्या बीमाकर्ता अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने में आईआरडीए द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों आईआरडीए/आईएनवी/008/2008-09 का पालन कर रहा है? 3. क्या बीमा एक्ट 1938 के खंड 27सी के तहत कोई निवेश किया गया है? 4. आईआरडीए (निवेश) एक्ट 2000 के नियमन 2 (सीसी) के अनुरूप क्या कोई मनी मार्केट निवेश किया गया है? 5. क्या एक साल के पुनर्विमा समूह टर्म एश्योरेंस व्यापार (ओवाईआरजीटीए) में किश्त गणना विशेष जीवन बीमा व्यापार के मानदंडों के अनुरूप है? 6. आईआरडीए (निवेश) (चौथा संशोधन), 2008 के नियमन 3 एवं 4 के पॉइंट 1 के अनुरूप क्या किसी प्रकार का निवेश हुआ है? 7. विनियमन 3 तथा 4 के विट्टु 5 के अनुसार क्या इनमें से किसी निवेश को डाउनग्रेड किया गया है तथा क्या इन्हें अन्य निवेश कहा गया है जो कि पूरे सिस्टम पर लागू होता है? 8. क्या अनुव्रत निवेश जो गैर-मानदंडों पर आता है, जो जीवन बीमा एवं माध्यम बीमा दोनों के लिए है (पुनर्विमा मिलाकर) क्या वो न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत को पूरा करता है जो नियमन 3 एवं 4 के पॉइंट 7 में वर्णित किया गया है। 9. आईआरडीए (निवेश) एक्ट 2000 के नियमन 8 के तहत क्या बीमाकर्ता सभी मानदंडों को पूरा करता है। 10. क्या बीमाकर्ता की निवेश योजनाएँ (यूनिट लिंक के मामले में फंड के अनुसार) को बीमाकर्ता के बोर्ड के द्वारा मान्यता दी गई है तथा आईआरडीए (निवेश) एक्ट 2000 के नियमन के तहत क्या बीमाकर्ता सभी मानदंडों को पूरा करता है। 11. क्या निवेश के परिणामों वृत्ति के साथ के प्रति निमाही बोर्ड के समक्ष रखा जाता है? 12. जीवन बीमाकर्ता के मामले में सभी व्यक्तिगत फंड जो कि शेयरधारक / पार्टिसीपेटिंग टोमो हो प्रकार के फंड है, क्या किसी व्यापार वर्ग के अंतर्गत आते है तथा प्रत्येक फंड जो स्ट्रिकट को प्रत्येक फंड की मॉनिंग के अनुसार पहचाना गया है? क्या वे बीमा एक्ट, 1938 के खंड 11(1बी) की शर्तों को पूरा करते है? 13. क्या निवेश की खरीद एवं बिक्री जो किसी व्यापार वर्ग के अंतर्गत है, जीवनबीमाकर्ता के मामले में, सभी प्रकार के निवेशों के लिए (यूनिट लिंक मिलाकर) क्या वे रेगुलेटिव फंड के अनुरूप किया गया है? 14. क्या जीवन बीमाकर्ता के मामले में फंड स्थापना को आईआरडीए-एफए-02-10-2003 04 के अनुरूप मानदंडों पर आधारित किया गया है? 		

क्रमांक	कसौटी जिसके लिए लागू	प्रदत्त / अन्य कसौटियों नियमन के अनुसार	क्या लागू कसौटियों की अनुपालना की जा रही है (हाँ / नहीं)	टिप्पणी
		<p>15. क्या सभी संपत्तियों की पहचान कर ली गई है तथा यूनिट लिंक की सभी विभाजित फंड को आईआरडीए के फाईल एण्ड यूज प्रक्रिया के आधार पर मान्यता मिली है?</p> <p>16. क्या यूनिट लिंक के मामले में बीमाकर्ता ने फंड के अनुसार संपत्तियों में जो निवेश किया है, उसका पैटर्न आईआरडीए से मान्यता प्राप्त है?</p> <p>17. क्या शेयर धारक फंड के मामले में बीमाकर्ता सोल्वेंसी मार्जिन (एफआरएसएम) के अनुसार जो विभाजन होता है तथा जो फॉर्म 3ए (भाग ए) तथा फॉर्म 3बी के अनुसार है?</p> <p>18. क्या अंशधारक के फंड जो सोल्वेंसी मार्जिन से आगे है कि लिए अलग से अभिरक्षक लेखा है तथा जीवन तथा साधारण (जिसमें पुनर्विमा शामिल है) कंपनियों का लेखा समाधान फॉर्म 3 क (भाग क) तथा 3 ख के अनुसार है।</p> <p>19. क्या बीमाकर्ता ने प्रॉन तिमाही अपने निवेशों का लेखा परीक्षा (ऑडिट) करवाया है तथा क्या बोर्ड को इसकी जानकारी दी है जो कि आईआरडीए/आईएनवी/जीएलएन/009/2008-09 के बिंदु 7 ए के अंतर्गत आता है?</p> <p>20. क्या बीमाकर्ता आईआरडीए द्वारा 17 जनवरी 2005 को वितरित परीपत्र आईआरडीए/आईएनवी/062/जनवरी/05 के मानदंडों को पूरा करता है?</p> <p>21. क्या बीमाकर्ता जिसकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपये से कम नहीं प्रबंधन के अंतर्गत (एयूएम) के साथ है। परीपत्र आईआरडीए/आईएनवी/सीआईआर/008//2008-09 के एनएवी गणक के पॉइंट 11 एवं 12 के मानदंडों को पूरा करता है?</p> <p>22. क्या बीमाकर्ता, जीवन बीमा क्षेत्र में, निवेश खातों का फंड के अनुरूप पुनर्चिकीकरण किया गया है, क्या बैंक में तथा दिन अनुसार रिकॉर्ड में इसकी टिप्पणी की गई है, सभी प्रकार के उत्पादों के लिए?</p> <p>23. क्या यूनिट लिंक के मामले में बीमाकर्ता ने पॉलिसी एडमिन सिस्टम को प्रतिदिन के अनुसार पुनर्चिकीकरण किया है?</p> <p>24. क्या साधारण बीमा के मामले में बीमाकर्ता ने (पुनर्विमा मिलाकर) निवेश खातों का फंड के अनुरूप पुनर्चिकीकरण किया गया है, क्या बैंक में तथा दिन अनुसार रिकॉर्ड में इसकी टिप्पणी की गई है, सभी प्रकार के उत्पादों के लिए?</p> <p>25. क्या निमात्री के पूरे समय में बीमाकर्ता की म्यूचुअल फंड में निवेश आईआरडीए/आईएनवी/जीएलएन/004/2003-04 के अनुसार है?</p>		

प्रमाणित करने है कि उपर दी गई सभी सूचनाएँ सही हैं तथा मेरी जानकारी के अनुसार है तथा कुछ भी छिपाया या दबाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हस्ताक्षर
मुख्य निवेश अधिकारी

हस्ताक्षर
मुख्य वित्तीय अधिकारी

दिनांक

(भाग ए)
रूपये लाख में

फार्म 4ए
कंपनी का नाम तथा कूट

विवरण

उद्योग क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाने वाला विवरण
निवेदन प्रस्तुतीकरण की अवधि: त्रिमासिक

बाकी शेयर (एफवी) का
दस प्रतिशत / निर्वाचित
कंपनी के शेयर पूंजी,
एफ, लाभांश, बंधपत्र) का
दस प्रतिशत

मौसमी सामान्य
शेयर / ऋण ?

निर्वाचित कंपनी

क्रमांक

विचलन = स्तंभ
(एफ) - स्तंभ (जी)

निर्वाचित कंपनी
(अंश तथा ऋण)

वास्तविक निवेश

स्तंभ (डी) या (ई)
का द्यूनतम

फंड आकार / कुल
निवेश का दस
प्रतिशत

विचलन = स्तंभ
(ई) - स्तंभ (आई)

ए बी सी डी ई एफ जी आई एच आई जे

टिप्पणी

- 1 फार्म 3ए/3बी के अनुसार कुल निवेश
- 2 उपर दी गयी सारणी सभी यूटिलिफ फंड के लिये अलग - अलग बनाये।
- 3 सिर्फ नकारात्मक विचलन की सूचना दे

हस्ताक्षर

पूर्ण नाम तथा पदनाम

अतिप्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि दी गयी जानकारी सही तथा पूर्ण है तथा मेरे विश्वास में इसमें कुछ भी निरूद्ध या रह नहीं हुआ है।

दिनांक:

फार्म 4ए
(भाग बी)
रूपये लाख में

कंपनी का नाम तथा कूट
विवरण

उद्योग क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाने वाला विवरण
निवेदन प्रस्तुतीकरण की अवधि: त्रिमासिक

फंड का आकार

कुल निवेश दिये
गये मानदंडों के
अनुसार कुल निवेश का प्रतिशत

प्रवर्तक / अपवर्तक
समूह

समूह का नाम

क्रमांक

टिप्पणी

फार्म 3ए/3बी के अनुसार कुल निवेश

0

अतिप्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि दी गयी जानकारी सही तथा पूर्ण है तथा मेरे विद्याम से इसमें कुछ भी निरूद्ध या रद्द नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर

पूर्ण नाम तथा पदनाम

दिनांक:

(भाग सी)
रूपये लाख मेंफार्म 4ए
कंपनी का नाम तथा कूट

विवरण

उद्योग क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाने वाला विवरण
निवेदन प्रस्तुतीकरण की अवधि: त्रिमासिक

फंड का आकार

दिये गये मानदंडों
के अनुसार किया
गया निवेश
कुल निवेश का
प्रतिशत

उद्योग क्षेत्र (अर्थनियम के अनुसार)

क्रमांक

टिप्पणी

फार्म 3ए/3बी के अनुसार कुल निवेश

0

अतिप्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि टी गयी जानकारी मही तथा पूर्ण है तथा मेरे विचार से इसमें कुछ भी निरूद्ध या गढ़ नही हुआ है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

पूर्ण नाम तथा पदनाम

फॉर्म 5
 कंपनी का नाम तथा कूट
 विवरण
 निवेश समझौते का विवरण
 (भारत में व्यापार)
 निवेदन प्रस्तुतीकरण की अवधि: विभाषिक
 फंड का नाम
 रूपरेखा का नाम

क्रमांक	निवेश का प्रकार	सोकोआई	प्रारंभिक जमा		समाप्त होने पर		समाप्त होने पर		अंश लेख		कुल का प्रतिशत (1+2+3)
			अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	
1	सामान्य प्रतिभूतियाँ										कुल (1)
2	सामान्य प्रतिभूतियाँ तथा अन्य प्रमाणित की गयी प्रतिभूतियाँ										कुल (1+2)
3	दिये गये फाट्टों के अनुसार किया गया निवेश (a) राज्य सरकार को आवासीय ऋण अदायत तथा / एकएचई के लिये (b) शैक्षणिक निवेश (c) अनुसूचित निवेश (d) अन्य निवेश										कुल (3(a)-(d))
											कुल (1+2+3)

अतिरिक्त जानकारी
 प्रमाणित किया जाता है कि दी गयी जानकारी सही तथा पूर्ण है तथा इसे विचार से इससे कुछ भी निम्न या एर नहीं हुआ है।
 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ज़ेरर बाजार से संबंधित सभी संवातन सौदे सुनिश्चिता के आधार पर किये गये हैं।
 दिनांक: _____
 दिवस: _____
 पूर्ण नाम तथा पदवाच: _____

- टिप्पणी
- दिये गये प्रमुख शर्तों के अंतर्गत आने वाले अलग-अलग प्रकारों को सूची कूट के साथ सूचीबद्ध करें।
 - इस फंड के लिये फॉर्म 5 को बनाये।
 - फॉर्म 5 के योग को फॉर्म 3 ए / फॉर्म 3 बी के धारा 1 के अनुसार शर्तों में सहभूत करें।
 - अन्य निवेश विवरण प्रकार धारा 27ए (2) तथा 27बी (3) में अनुसूचित हैं।
 - फॉर्म 5 को बनाने के मातृदर्शी सिद्धांतों का सख्ती से पालन करें।

प्रारंभ 5 ए.
 कापती का नाम तथा कूट
 विवरण
 युगुत्तल षड्ये किये गये निवेश का विवरण
 निवेदन प्रस्तुतीकरण की अवधि: त्रिमासिक

षड्ये का नाम

रुपये लाख में

विवरण	प्रारंभिक उपाय		समयावधि में क्रय		समयावधि में विक्रय		अंतर शेष		कुल निवेश का प्रतिशत
	यूनिट	राशि	यूनिट	राशि	यूनिट	लागत	यूनिट	बही मूल्य	
अनुमोदित निवेश									
एम एफ									
ईएफपीजी									
एमएफ	0		0		0		0	0	0
अन्य									
एमएफ	0		0		0		0	0	0
ओएमपीजी									
एमएफ	0		0		0		0	0	0
कुल (ए + बी + सी + डी)	0		0		0		0	0	0

अतिश्रमापन
 समयावधि के अंत में षड्ये के मूल्य में परिवर्तन के कारण से प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश के अंतर को षड्ये में दर्ज किया जायेगा।

दिनांक: _____
 हस्ताक्षर
 पूर्ण नाम तथा पदनाम

- टिप्पणी
1. षड्ये का मूल्य षड्ये के अंत में
 2. षड्ये के अंत में षड्ये के अंत में
 3. षड्ये के अंत में षड्ये के अंत में
 4. षड्ये के अंत में षड्ये के अंत में

फार्म 6

कंपनी का नाम तथा कूट

विवरण

फंड का नाम

बीमा अधिनियम, 1938 खंड 28 (2ए) / 28 (2बी) / 28बी (3) के तहत प्रमाणित निवेदन प्रस्तुतीकरण की अवधि: त्रिमासिक

रूपये लाख में

क्रमांक	निवेश का विवरण	अभिरक्षा				कुल (रू.)
		बैंक (रू.)		अन्य (रू.)		
		शेयर धारक	पालिसी धारक	शेयर धारक	पालिसी धारक	शेयर + पालिसी
1	सामान्य प्रतिभूतियाँ					
2	सामान्य प्रतिभूतियाँ तथा अन्य प्रमाणित की गयी प्रतिभूतियाँ					
3	दिये गये मानदंडों के अनुसार किया गया निवेश					
	(a) राज्य सरकार को आवासीय ऋण आवास तथा / एफएफई					
	(b) सरचनात्मक निवेश					
	(c) अनुमोदित निवेश					
	(d) अन्य निवेश					
कुल						

हम प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गयी सभी प्रतिभूतियाँ किसी भी प्रकार के भार, प्रभार खर्च, दृष्टिबंधन या धारणाधिकार से मुक्त हैं।

अध्यक्ष

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशक

टिप्पणी

- 1 अभिरक्षक यह प्रमाणित करें की वह सबी (पुब्लिक फंड) अधिनियम, 1996 में समय समय पर हुये संशोधन के तहत अयोग्य नहीं है।
 - 2 प्रतिभूतियोंक मूल्यांकन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिये।
 - 3 जीवन बीमा व्यापार के संदर्भ में हर फंड के लिए अलग से फार्म 6 बनायें।
 - 4 प्रमाण के अंदर किया गया मूल्यांकन क्रय / विक्रय के निवेश क्रय को प्रतीक्षारत भुगतान को समायोजित किया जाये।
- इस प्रभाव से संबंधित समाधान को प्रमाण के साथ अवश्य लगायें।

फार्म 7

कंपनी का नाम तथा कूट

विवरण

संविभाग निवेश सूची पर पुष्टि

निवेदन प्रस्तुतीकरण की अवधि: त्रिमासिक

क्रमांक	विवरण	पुष्टि (हाँ/नहीं)
1	अनुमोदित निवेश / अन्य निवेश जो परिपक्व हो गये है तथा जिनका भुगतान बाकी है का विवरण बकाया राशि तथा समयावधि जिसमें वह बाकी है कै: साथ	
2	क्रमांक 1 में अनुवर्ती निवेश जिसका परिपक्व पुननिर्धारणीय है	
3	निवेश का विवरण जहाँ आवश्यकता आय बाकी है, बकाया ब्याज की राशि समयावधि के साथ जिसके दौरान उक्त राशि बकाया है	
4	बकाया राशि को पुन: प्राप्त करने के लिये उठाये गये कदम / बकाया राशि के लिये खाते में प्रस्तावित विवरण	

अतिप्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि दी गयी जानकारी सही तथा पूर्ण है तथा मेरे विश्वास से इसमें कुछ भी निरूद्ध या रह नहीं हुआ है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

पूर्ण नाम तथा पदनाम

टिप्पणी यदि कोई पुष्टि पूर्ण नहीं है तो उसकी जानकारी प्रदान की जायेगी।

कार्य 71
 कंपनी का नाम तथा पूरा
 विवरण
 सविभाग विशेष सूची की विवरण
 विवेक प्रस्तुतीकरण की अवधि: विचारित

₹ 34 अरब

संकेतार्थ	कंपनी का नाम	उपकरण का प्रकार	व्यक्तिगत मूल्य (बढ़ी मूल्य)	व्यक्तिगत भाग (बढ़ी मूल्य)	मूल से बाकी भाग से बाकी	आवधिक मूल्य	अस्थायी अति?	क्या मूल से विकरी प्रकारी की पूरा है?	उपकरण (%)	उपकरण (₹)
								गति		
								मंडल अनुपात मूल्य		

अभिप्रायण

मान्यता किया जाता है कि टी गुरु अवकारी गरी तथा पूरुई तथा सं विकास से इसमें कुछ भी निरुद्ध या दर नहीं हुआ है।

दिनांक: _____

हस्ताक्षर

पूर्ण नाम तथा पदनाम

टिप्पणी

ए संसदी कड / आरक्षण आरक्षणार्थ / 001 / 2003-04 के अनुसार

बी ₹र ₹ड के लिए कर्म 7 ए को बना करें।

सी गीकरण एक एड ए फॉर 169 जन - 07 दिनांक 24-01-07 के अनुसार बना पहिले।

जे. हरिनारायण, अध्यक्ष
 [विज्ञापन III/4/161/2008/असा.]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 30th July, 2008

Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) (Fourth Amendment) Regulations, 2008

F. No. IRDA/Reg./5/47/2008.—In exercise of the powers conferred by Sections 27A, 27B, 27D and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to further amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, notified on 15th August, 2000 *vide* F. No. IRDA/Reg./8/2000 in the Gazette of India and amended on 31st May, 2001 *vide* F. No. IRDA/Reg./5/2001 in the Gazette of India, further amended on 2nd April, 2002 *vide* F. No. IRDA/Reg./3/2002 in the Gazette of India and further amended on 5th January, 2004 *vide* F. No. IRDA/Reg./1/2004 namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) (Fourth Amendment) Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In Regulation 2 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000,

(i) Clause (ba) shall be substituted for the following:

[(ba) “**Investment Assets**” mean all investments made out of:

(i) in the case of a Life Insurer

(a) shareholders funds representing solvency margin, non-unit reserves of unit linked insurance business, participating and non-participating funds of policyholders

(b) policyholders funds of pension and general annuity fund at their carrying value and

(c) policyholders unit reserves of unit linked insurance business at their market value and

(ii) in the case of a General Insurer

(a) *shareholder funds representing solvency margin and policyholders funds*

at their carrying value

as shown in its balance sheet drawn as per the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2000, but excluding items under the head 'Miscellaneous Expenditure'.

(ii) Clause (ca) shall be substituted for the following:-

(ca) "Group" means:

(i) *two or more individuals, association of individuals, firms, trusts, trustees or bodies corporate or any combination thereof, which exercises, or is established to be in a position to exercise, control, directly or indirectly, over any body corporate, firm or trust, or*

(ii) *Associated persons,*

as may be stipulated by the Authority, from time to time, by issuance of guidelines under these regulations.

(iii) After clause (cb) the following new clause shall be added:-

(cc) Money Market Instruments

Money Market Instruments shall comprise of Short term funds with maturity not more than one year comprising of the following instruments:

1. *Certificate of deposit rated by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999.*
2. *Commercial paper rated by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999.*
3. *Repos, Reverse Repo*
4. *Treasury Bills*
5. *Call, Notice, Term Money*
6. *CBLO as per Schedule I and II of these Regulations.*
7. *Any other instrument as may be prescribed by the Authority.*

3. Regulation of Investments

Regulation 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000 shall be substituted for the following:-

3. (1) *Life Business: In terms of the Explanation to Section 27A of the Act, the Authority has determined that assets relating to Pension business, Annuity business and all categories of Unit Linked business shall not form part of the Controlled Fund for the purpose of that section.*

Without prejudice to Sections 27 or 27A of the Act, every insurer carrying on the business of Life Insurance, shall invest and at all times keep invested his Investment Assets (other than

funds relating to pension and general annuity business and all categories of Unit linked business) in the following manner:

No	Type of Investment	Percentage
(i)	Government Securities	Not less than 25% of the fund
(ii)	Government Securities or Other Approved Securities	Not less than 50% of the fund (incl (i) above)
(iii)	<p><i>Investments as specified in Section 27A of Insurance Act, 1938 and Schedule I of these Regulations, subject to Exposure / Prudential Norms specified in Regulation 5:</i></p> <p><i>a. Approved Investments and Other Investments (Out of '(iii)a' 'Other investment' specified under 27A(2) of the Act, shall not exceed 15% of the fund)</i></p> <p><i>b. Investment in housing and infrastructure by way of subscription or purchase of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Bonds / debentures of HUDCO and National Housing Bank</i> <i>2. Bonds / debentures of Housing Finance Companies either duly accredited by National Housing Banks, for house building activities, or duly guaranteed by Government or carrying current rating of not less than 'AA' by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999</i> <i>3. Asset Backed Securities with underlying housing loans, satisfying the norms specified in the guidelines issued under these regulations.</i> <p><i>c. Investment in Infrastructure:</i></p> <p><i>(Explanation: Subscription or purchase of Bonds / Debentures, Equity and Asset Backed Securities with underlying infrastructure assets would qualify for the purpose of this requirement.</i></p> <p><i>'Infrastructure facility' shall have the meaning as given in clause (h) of regulation 2 of Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Amendment Regulations, 2008)</i></p>	<p><i>Not exceeding 35% of the fund</i></p> <p><i>Not less than 15% of the fund [(iii) b and c taken together]</i></p>

(2) *Pension and General Annuity Business – Every insurer shall invest and at all times keep invested funds belonging to his Pension and General Annuity Business in the following manner:-*

No	Type of Investment	Percentage
(i)	Government Securities	Not less than 20% of the fund
(ii)	Government Securities or Other Approved Securities	Not less than 40% of the fund (incl (i) above)
(iii)	Balance to be invested in Approved Investments, as specified in Schedule I, subject to Exposure / Prudential norms specified in Regulation 5.	Not exceeding 60% of the fund

Note: For the purposes of this sub-regulation no investment falling under 'Other Investments' as specified under 27A (2) of Insurance Act, 1938 shall be made. However, funds pertaining to Group Insurance Business, except One Year Renewable pure Group Term Assurance Business (OYRGTA) shall form part of Pension and General Annuity Fund. OYRGTA funds shall follow the pattern of Investment of Life Business.

(3) Unit Linked Insurance Business - Every insurer shall invest and at all times keep invested his segregated fund of Unit linked business as per pattern of investment offered to and approved by the policy-holders where the units are linked to categories of assets which are both marketable and easily realizable. However, the total investment in Other Investments, as specified under 27A (2) of Insurance Act, 1938, category shall at no time exceed 25% of such fund(s).

4. Regulation of Investments

Regulation 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted for the following:-

4. (1) General Insurance Business – Without prejudice to section 27B of the Act, every insurer carrying on the business of General Insurance shall invest and at all times keep invested his investment assets in the manner set out below:

No	Type of Investment	Percentage
(i)	Government Securities	Not less than 20% of Investment Assets
(ii)	Government Securities or Other Approved Securities	Not less than 30% of Investment Assets (incl (i) above)
(iii)	Investments as specified in Section 27B of Insurance Act, 1938 and Schedule II subject to Exposure / Prudential Norms specified in Regulation 5: a. Approved Investments and Other Investments (Out of '(iii)a' 'Other investment' specified under 27B(3)	Not exceeding 55%

No	Type of Investment	Percentage
	<p><i>of the Act, shall not exceed 25% of Investment Assets)</i></p> <p><i>b. Housing and loans to State Government for housing and fire fighting equipment, by way of subscription or purchase of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Bonds / debentures of HUDCO and National Housing Bank</i> <i>2. Bonds / debentures of Housing Finance Companies either duly accredited by National Housing Banks, for house building activities, or duly guaranteed by Government or carrying current rating of not less than 'AA' by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999</i> <i>3. Asset Backed Securities with underlying housing loans, satisfying the norms specified in the guidelines issued under these regulations.</i> <p><i>c. Investment in Infrastructure:</i></p> <p><i>(Explanation: Subscription or purchase of Bonds / Debentures, Equity and Asset Backed Securities with underlying infrastructure assets would qualify for the purpose of this requirement.</i></p> <p><i>'Infrastructure facility' shall have the meaning as given in clause (h) of regulation 2 of Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Amendment Regulations, 2008)</i></p>	<p><i>Not less than 5%</i></p> <p><i>Not less than 10%</i></p>

(2) Reinsurance Business – Every re-insurer carrying on re-insurance business in India shall invest and at all times keep invested his investment assets in the same manner as set out in sub-regulation (1), until such time, separate regulations in this behalf are formed by the Authority.

The Notes appended at the end of clause (2) of Regulation 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted for the following:-

Note – For the purpose of Regulations 3 and 4:

- 1 All investment in assets or instruments, which are capable of being rated as per market practice, shall be made on the basis of credit rating of such assets or instruments. No investment shall be made in instruments, if such instruments are capable of being rated, but are not rated.*
- 2 The rating should be done by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999.*
- 3 Corporate bonds or debentures rated not less than AA or its equivalent and P1 or equivalent ratings for short term bonds, debentures, certificate of deposit and commercial paper, by a*

credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999 would be considered as 'Approved Investments'.

- 4 The rating of a debt instrument issued by All India Financial Institutions recognized as such by RBI shall be of 'AA' or equivalent rating. In case investments of this grade are not available to meet the requirements of the investing insurance company, and Investment Committee of the investing insurance company is fully satisfied about the same, then, for the reasons to be recorded in the Investment Committee's minutes, the Investment Committee may approve investments in instruments carrying current rating of not less than 'A+' or equivalent as rated by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999, would be considered as 'Approved Investments'.
- 5 Approved Investments under points 3 and 4 above, which are downgraded below the minimum rating prescribed should be automatically re-classified under 'Other Investments' category for the purpose of pattern of investment.
- 6 Investments in equity shares listed on a registered stock exchange should be made in actively traded and liquid instruments viz., equity shares other than those defined as thinly traded as per SEBI Regulations and guidelines governing mutual funds issued by SEBI from time to time.
- 7 Not less than 75% of debt instruments excluding Government and Other approved Securities - fund wise, in the case life insurer and Investment Assets in the case of general insurer - shall have a rating of AAA or equivalent rating for long term and P1+ or equivalent for short term instruments. This shall also apply to Unit linked fund(s).
- 8 Notwithstanding the above, it is emphasised that **rating should not replace appropriate risk analysis and management on the part of the Insurer. The Insurer should conduct risk analysis commensurate with the complexity of the product(s) and the materiality of their holding, or could also refrain from such investments.**

5. Exposure / Prudential Norms

Regulation 5 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted for the following:-

Exposure / Prudential Norms

Without prejudice to anything contained in Section 27A and 27B of Insurance Act, 1938, every insurer shall limit his investment based on the following exposure norms.

Exposure norms for Life (including Unit linked business), General Insurance (including re-insurance) business for both Approved Investments as per Insurance Act, 1938, Schedule I and II of these Regulations, and Other Investments as permitted under 27A(2) and 27B(3) of the Insurance Act, 1938:

Type of Investment	Limit for 'investee' company	Limit for the entire 'group' of the investee company	Limit for industry sector to which investee company belongs
(1)	(2)	(3)	(4)

Type of Investment (1)	Limit for 'investee' company (2)	Limit for the entire 'group' of the investee company (3)	Limit for industry sector to which investee company belongs (4)
a. Investment in 'equity', preference shares, convertible debentures	10% of outstanding equity shares (face value) or 10% of the respective fund in the case of life insurer / investment assets in the case of general insurer (including re-insurer) which ever is lower.	Not more than 10% of the respective fund in the case of life insurer / investment assets in the case of general insurer (including re-insurer). The above percentage shall stand at 25% in the case of Unit linked funds.	Investment by the insurer in any industrial sector shall not exceed 10% of its total investment exposure to the industry sector as a whole. The above percentage shall stand at 25% in the case of Unit linked funds.
b. Investment in debt / loans and any other permitted investments as per Act / Regulation, other than item 'a' above.	10% of the paid-up share capital, free reserves and debenture / bonds of the investee company or 10% of respective fund in the case of life insurer / investment assets in the case of general insurer (including re-insurer) which ever is lower.		(Classification of industrial sectors shall be done by the insurer on the lines of classification by National Industrial Classification Code for Extra Territorial Organizations and Bodies in India (NIC) or any other system which adopts NIC classification.)

The Notes appended at the end of Regulation 5 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted by the following:-

Note:

- 1 Investments in equity including preference shares and convertible part of debentures shall not exceed 50% of above exposure norms as mentioned in the above table.
- 2 Investment in immovable property covered under Section 27A (1) (n) of Insurance Act, 1938 shall not exceed, at the time of investment, 5% of (a) Investment Assets in the case of general insurer and (b) 5% of Investment Assets of funds relating to life funds, pension and general annuity funds in the case of life insurer.
- 3 Subject to exposure limits mentioned in the table above, an insurer shall not have investments of more than:
 - (i) 5% in aggregate of its total investments in companies belonging to the promoters' groups, if invested out of Life, Pension and General Annuity funds or General insurance funds and;
 - (ii) 12.5% in aggregate of its total investments in companies belonging to the promoters' groups, if invested out of Unit linked funds.

for the purpose of these regulations 'Group' shall have the same meaning as defined under these Regulations.

- 4 In the case of Life, Pension and General Annuity business the percentage and General insurance business the 10% of group and industry sector exposure shall be raised upto 15% with the prior approval of Investment Committee. The Investment Committee should exercise due care keeping in view the possible concentration and other related risks, in the interest of the policyholders. Exposure norms applicable for investments, for which specific circulars / guidelines are issued, shall be guided by such circulars / guidelines.
- 5 The exposure limit for financial and banking sector shall stand at 25% investment assets for all insurers.
- 6 Investment in fixed deposit, term deposit and certificate of deposit of a Scheduled Bank shall be made in terms of the provisions of Section 27A (9) and Section 27B (10) of the Insurance Act 1938. Such investments would not be deemed as exposure to banking sector. However, investments in such fixed deposit, term deposit and certificate of deposit in a bank falling under the promoter group of the insurer, shall continue to be subject to promoter group exposure norms as per point 3 of Note to this regulation.

6. Returns to be submitted by an Insurer

Regulation 6 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted for the following:-

6. Every insurer shall submit to the Authority the following returns within such time, at such intervals and verified/certified in such manner as indicated there against.

No	Form	Description	Periodicity of Return	Time limit for submission	Verified / Certified by
1	Form 1	Statement of Investment and Income on Investment	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Chief Executive Officer / Chief of Investments
2	Form 2	Statement of Downgraded Investments	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Chief Executive Officer / Chief of Investments
3	Form 3A (Part A, B, C)	Statement of Investments (Life Insurers) – Compliance Report	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Chief Executive Officer / Chief of Investments
4	Form 3B	Statement of Investments (General Insurer) – Compliance Report	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Chief Executive Officer / Chief of Investments

No	Form	Description	Periodicity of Return	Time limit for submission	Verified / Certified by
5	Form 4	Exposure and other norms – quarterly compliance certificate.	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Chief Executive Officer, Chief of Investments and Chief of Finance
6	Form 4A (Part A, B, C)	Statement of Investment Subject to Exposure Norms – Investee Company	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Chief Executive Officer / Chief of Investments
7	Form 5	Statement of Investment Reconciliation	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Chief Executive Officer / Chief of Investments
8	Form 5A	Statement of Mutual Fund Investments	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Chief Executive Officer / Chief of Investments
9	Form 6	Certificate under sections 28 (2A), 28 (2B) and 28B (3) of the Insurance Act, 1938	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Chief Executive Officer, Chief of Investments
10	Form 7	Confirmation of Investment Portfolio Details	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Chief Executive Officer / Chief of Investments
11	Form 7A	Statement of Non Performing Assets	Quarterly	Within 45 days of the end of the Quarter	Chief Executive Officer / Chief of Investments

Note: All returns for the quarter ending March shall be filed within the period stipulated above based on provisional figures and later re-submitted with Audited figures within 15 days of adoption of accounts by the Board of Directors.

7. Constitution of Investment Committee

Regulation 9 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted for the following:-

Organizational structure for Investment Management

- 1 *Every insurer shall constitute an Investment Committee which shall consist of a minimum of two non-executive directors of the Insurer, the Chief Executive Officer, Chief of Finance, Chief of Investment division, and wherever an appointed actuary is employed, the Appointed Actuary. The decisions taken by the Investment Committee shall be recorded and be open to inspection by the officers of the Authority.*
- 2 *Every Insurer shall draw up, annually an Investment Policy (fund-wise investment policy in the case of unit linked insurance business) and place the same before its Board of Directors for its approval. While framing such policy, the Board shall ensure compliance with the following:*
 - (i) *Issues relating to liquidity, prudential norms, exposure limits, stop loss limits including securities trading, management of all investment risks, management of assets liabilities, scope of internal or concurrent audit of investments and investment statistics and all other internal controls of investment operations, the provisions of the Insurance Act, 1938 and Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, guidelines and circulars made there under.*
 - (ii) *Ensuring adequate return on policyholders and shareholders funds consistent with the protection, safety and liquidity of such fund(s).*
 - (iii) *The funds of the insurer shall be invested and continued to be invested in equity shares, equity related instruments and debt instruments rated as per Note below Regulation 3 and 4 by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, '1999. The Board shall lay down clear norms for investing in 'Other Investments' as specified under section 27A(2) and 27B(3) of the Insurance Act, 1938 by the investment committee, taking into account the safety and liquidity of the policyholders' funds and protection of their interest.*
- 3 *The investment policy as approved by the Board shall be implemented by the investment committee, which shall keep the Board informed on a quarterly basis about its activities and fund(s) performance.*
- 4 *The Board shall review the investment policy and its implementation on a half-yearly basis or at such short intervals as it may decide and make such modification to the investment policy as is necessary to bring it in line with the investment provisions laid down in the Act and Regulations made there under, keeping in mind protection of policyholders' interest and pattern of investment laid down in these regulations or in terms of the agreement entered into with the policyholders in the case of unit linked insurance business.*
- 5 *The details of the IP or its review as periodically decided by the Board shall be made available to the internal or concurrent Auditor. The auditor shall comment on such review and its impact on the investment operations, systems and processes in their report to be placed before the Board Audit Committee.*
- 6 *In order to ensure proper internal control of investment functions and operations the insurer shall clearly segregate the functions and operations of front, mid and back office.*
- 7 *The Authority may call for further information from time to time from the insurer as it deems necessary and in the interest of policyholders and issue such directions to the insurers as it thinks fit.*

8. Dealing in Financial Derivatives

Clause (2) of Regulation 11 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, shall be substituted for the following:-

Any margin or unamortized premium paid by any insurer in connection with the financial derivatives to the extent they are reflected as asset position in the balance sheet of the insurer in accordance with the guidelines issued by the Authority, shall be treated as 'Approved Investment' under schedule I and schedule II to these Regulations, only to the extent the derivative position constitutes a hedge for the underlying investment or portfolio which itself is treated as an approved investments under these regulations. All other margins or unamortized premium paid, to the extent reflected in the balance sheet of the insurer in accordance with the guidelines issued by the Authority in this regard from time to time, shall be treated as 'Other Investments'.

9. Schedule I

Schedule I of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000 shall be substituted with the following:-

Schedule I
(See Regulation 3)
List of Approved Investments for Life Business

'Approved Investments' for the purposes of section 27A of the Act shall consist of the following:

- a) all investments specified in section 27A of the Act except
 - (i) clause (b) of sub-section (1) of section 27A of the Act;
 - (ii) first mortgages on immovable property situated in another country as stated in clause (m) of sub-section (1) of section 27A of the Act;
 - (iii) immovable property situated in another country as stated in clause (n) of sub-section (1) of section 27A of the Act.
- b) In addition the following investments shall be deemed as approved investments by the Authority under the powers vested in it vide clause (s) of sub-section (1) of section 27A of the Act.
 - (i) All loans secured as required under Insurance Act, 1938, secured-debentures, secured bonds and other debt instruments rated as per Note appended to Regulation 3 and 4. Equity shares and preference shares and debt instruments issued by all India Financial Institutions recognized as such by Reserve Bank of India – investments shall be made in terms of investment policy guidelines, benchmarks and exposure norms, limits approved by the Board of Directors of the insurer.
 - (ii) Bonds or debentures issued by companies rated not less than AA or its equivalent and P1 or equivalent ratings for short term bonds, debentures, certificate of deposits and commercial papers by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999 would be considered as 'Approved Investments'.

- (iii) *Subject to norms and limits approved by the Board of Directors of the insurers deposits (including fixed deposits as per section 27A (9) of Insurance Act, 1938) with banks (e.g. in current account, call deposits, notice deposits, certificate of deposits etc.) included for the time being in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and deposits with primary dealers duly recognized by Reserve Bank of India as such.*
- (iv) *Collateralized Borrowing and Lending Obligations (CBLO) created by the Clearing Corporation of India Ltd and recognized by the Reserve Bank of India and exposure to Gilt, G Sec and liquid mutual fund forming part of Approved Investments as per Mutual Fund Guidelines issued under these regulations and money market instrument / investment.*
- (v) *Asset Backed Securities with underlying Housing loans or having infrastructure assets as underlying as defined under 'infrastructure facility' in clause (h) of regulation 2 of Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Amendment Regulations, 2008.*
- (vi) *Commercial papers issued by a company or All India Financial Institution recognized as such by Reserve Bank of India having a credit rating by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999.*
- (vii) *Money Market instruments as defined in Regulation 2(cc) of these Regulation.*

Explanation –

1. *All conditions mentioned in the 'note' appended to Regulation 3 and 4 shall be complied with.*

10. Schedule II

Schedule II of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000 shall be substituted with the following:-

Schedule II
(See Regulation 4)
List of Approved Investments for General Business

'Approved Investments' for the purpose of section 27B of the Act shall consist of the following:

- a) *All investments specified in section 27B of the Act except*
- (i) *clause (b) of sub-section (1) of section 27A of the Act;*
 - (ii) *Immovable property situated in another country as stated in clause (n) of sub-section (1) of section 27A of the Act;*
 - (iii) *First mortgages on immovable property situated in another country as stated in clause (i) of sub-section (1) of section 27B of the Act.*
- b) *In addition the following investments shall be deemed as approved investments by the Authority under the powers vested in it vide clause (j) of sub-section (1) of section 27B of the Act:*

- (i) *All loans secured as per Insurance Act, 1938, secured-debentures, secured bonds and other debt instruments rated as per Note appended to Regulations 3 and 4. Equity shares, preference shares and debt instruments issued by All India Financial Institutions recognized as such by Reserve Bank of India – investments shall be made in terms of investment policy guidelines, benchmarks and exposure norms, limits approved by the Board of Directors of the insurer.*
- (ii) *Bonds or debentures issued by companies rated not less than AA or its equivalent and P1 or Equivalent ratings for short term bonds, debentures, certificate of deposits and commercial papers by a credit rating agency, registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999 would be considered as 'Approved Investments'.*
- (iii) *Subject to norms and limits approved by the Board of Directors of the insurers deposits (including fixed deposits as per section 27B (10) of Insurance Act, 1938) with banks (e.g. in current account, call deposits, notice deposits, certificate of deposits etc.) included for the time being in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and deposits with primary dealers duly recognized by Reserve Bank of India as such.*
- (iv) *Collateralized Borrowing & Lending Obligations (CBLO) created by the Clearing Corporation of India Ltd and recognized by the Reserve Bank of India and exposure to Gilt, G Sec and liquid mutual fund forming part of Approved Investments as per Mutual Fund Guidelines issued under these regulations and money market instrument / investment.*
- (v) *Asset Backed Securities with underlying Housing loans or having infrastructure assets as underlying as defined under 'infrastructure facility' in clause (h) of regulation 2 of Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Amendment Regulations, 2008.*
- (vi) *Commercial papers issued by a company or All India Financial Institution recognized as such by Reserve Bank of India having a credit rating by a credit rating agency registered under SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations 1999*
- (vii) *Money Market instruments as defined in Regulation 2(cc) of this Regulation.*

Explanation

1. *All conditions mentioned in the 'note' appended to Regulation 3 and 4 shall be complied with.*

FORM - 1

Company Name & Code:

Statement as on:

Name of the Fund _____

Statement of Investment and Income on Investment

Periodicity of Submission: Quarterly

Rs. Lakhs

No.	Category of Investment	Category Code	Current Quarter				Year to Date				Previous Year			
			Investment (Rs.)	Income on Investment (Rs.)	Gross Yield (%) ¹	Net Yield (%) ²	Investment (Rs.)	Income on Investment (Rs.)	Gross Yield (%) ¹	Net Yield (%) ²	Investment (Rs.)	Income on Investment (Rs.)	Gross Yield (%) ¹	Net Yield (%) ²
TOTAL														

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date:

Signature _____

Full Name & Designation

Note: Category of Investment (COI) shall be as per Guidelines

- ¹ To be calculated based on Monthly or lesser frequency 'Weighted Average' of Investments
- ² Yield netted for Tax
- ³ FORM-1 shall be prepared in respect of each fund.

FORM - 2

Company Name & Code:

Statement as on:

Name of Fund _____

Statement of Down Graded Investments

Periodicity of Submission: Quarterly

Rs. Lakhs

No	Name of the Security	COI	Amount	Date of Purchase	Rating Agency	Original Grade	Current Grade	Date of Downgrade	Remarks
A.	<u>During the Quarter</u> ¹								
B.	<u>As on Date</u> ²								

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date:

Signature _____

Full Name and Designation _____

Note:

- 1 Provide details of Down Graded Investments during the Quarter.
- 2 Investments currently upgraded, listed as Down Graded during earlier Quarter shall be deleted from the Cumulative listing.
- 3 FORM-2 shall be prepared in respect of each fund.
- 4 Category of Investment (COI) shall be as per INV/GLN/001/2003-04

FORM - 3A

Company Name & Code:

PART - A

Statement as on:

Statement of Investment Assets (Life Insurers)

(Business within India)

Periodicity of Submission: Quarterly

Rs. Lakhs

Total Application as per Balance Sheet (A)

0

Reconciliation of Investment Assets

Add (B)

Total Investment Assets (as per Balance Sheet)

0

Provisions

Sch-14

Balance Sheet Value of:

Current Liabilities

Sch-13

A. Life Fund

0

B. Pension & Gen Annuity Fund

Less (C)

C. Unit Linked Funds

Debit Balance in P&L A/c

Sch-09

0

Loans

Sch-09

Adv & Other Assets

Sch-12

Cash & Bank Balance

Sch-11

Fixed Assets

Sch-10

Misc Exp. Not Written Off

Sch-15

Funds available for investments

0

NON - LINKED BUSINESS

A. LIFE FUND	% as per Reg	SH		PH		Book Value (SH+PH) F = [b+c+d+e]	Actual %	FVC Amount	Total Fund	Market Value	
		Balance	FRSM +	UL-Non Unit Res	PAR						NON PAR
		(a)	(b)	(c)	(d)						(e)
1 G. Sec	Not Less than 25%										
2 G. Sec or Other Approved Securities (incl (i) above)	Not Less than 50%										
3 Investment subject to Exposure Norms											
a. Housing & Infrastructure	Not Less than 15%										
b. i) Approved Investments	Not exceeding 35%										
ii) "Other Investments" not to exceed 15%											
TOTAL LIFE FUND	100%										

B. PENSION AND GENERAL ANNUITY FUND	% as per Reg	PH		Book Value	Actual %	FVC Amount	Total Fund	Market Value
		PAR	NON PAR					
1 G. Sec	Not Less than 20%							
2 G. Sec or Other Approved Securities (incl (i) above)	Not Less than 40%							
3 Balance in Approved investment	Not Exceeding 60%							
TOTAL PENSION, GENERAL ANNUITY FUND	100%							

LINKED BUSINESS

C. LINKED FUNDS	% as per Reg	PH		Total Fund	Actual %
		PAR	NON PAR		
1 Approved Investment	Not Less than 75%				
2 Other Investments	Not More than 25%				
TOTAL LINKED INSURANCE FUND	100%				

CERTIFICATION:

Certified that the information given here in are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Signature: _____

Full name: _____

Designation: _____

Date: _____

Note: (*) FRMS refers to 'Funds representing Solvency Margin'

Pattern of Investment will apply only to Shareholders (SH) funds representing FRSM ('F')

Funds beyond Solvency Margin shall have a separate Custody Account.

Other Investments are as permitted under Section 27A(2) and 27B(3) of Insurance Act, 1938

FORM 3A

Unit Linked Insurance Business

PART - B

Company Name & Code:

Link to Item 'C' of FORM 3A (Part A)

Periodicity of Submission: Quarterly

Par / Non-Par

Statement as on:

Rs. Lakhs

PARTICULARS	Fund 1	Fund 2	Fund 'n'	Total of All Funds
Opening Balance (Market Value)				
Add: Inflow during the Quarter				
Increase / (Decrease) Value of Inv [Net]				
Less: Outflow during the Quarter				

TOTAL INVESTIBLE FUNDS (MKT VALUE)

INVESTMENT OF UNIT FUND	Fund 1		Fund 2		Fund 'n'		Total of All Funds	
	Actual Inv.	% Actual	Actual Inv.	% Actual	Actual Inv.	% Actual	Actual Inv.	% Actual
Approved Investments (>=75%)								
Govt. Bonds								
Corporate Bonds								
Infrastructure Bonds								
Equity								
Money Market								
Mutual funds								
Deposit with Banks								
Sub Total (A)								

Current Assets:								
Accrued Interest								
Dividend Receivable								
Bank Balance								
Receivable for Sale of Investments								
Other Current Assets (for Investments)								
Less: Current Liabilities								
Payable for Investments								
Fund Mgmt Charges Payable								
Other Current Liabilities (for Investments)								
Sub Total (B)								

Other Investments (<=25%)								
Corporate Bonds								
Infrastructure Bonds								
Equity								
Money Market								
Mutual funds								
Sub Total (C)								

Total (A + B + C)

Fund Carried Forward (as per LB 2)

Date :

Signature _____

Designation _____

Note:

1. The aggregate of all the above Segregated Unit-Funds should tally with Item C of FORM 3A (Part A), for both Par & Non Par Business
2. Details of Item 12 of FORM LB 2 of IRDA (Actuarial Report) Regulation, 2000 shall be reconciled with FORM 3A (Part B)
3. Other Investments are as permitted under Sec 27A(2) and 27B(3)

FORM - 3A

Company Name & Code:

PART - C

Statement for the period:

Link to FORM 3A (Part B)

Periodicity of Submission: Quarterly

No	Name of the Scheme	Assets Held on the above date	NAV as on the above date	NAV as per LB 2	Previous Qtr NAV	2nd Previous Qtr NAV	3rd Previous Qtr NAV	Annualised Return/Yield	3 Year Rolling CAGR
1	Fund 1								
2	Fund 2								
3	Fund n								
Total									

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

DATE :

Signature _____

Full Name & Designation

FORM - 3B

Company Name & Code:

Statement as on:

Statement of Investment Assets (General Insurer, Re-insurers)

(Business within India)

Periodicity of Submission: Quarterly

Rs. in Lakhs

No	PARTICULARS	SCH	AMOUNT
1	Investments	8	
2	Loans	9	
3	Fixed Assets	10	
4	Current Assets		
	a. Cash & Bank Balance	11	
	b. Advances & Other Assets	12	
5	Current Liabilities		
	a. Current Liabilities	13	
	b. Provisions	14	
	c. Misc. Exp not Written Off	15	
	d. Debit Balance of P&L A/c		
Application of Funds as per Balance Sheet (A)			0

No	Less: Other Assets	SCH	Amount
1	Loans (if any)	9	
2	Fixed Assets (if any)	10	
3	Cash & Bank Balance (if any)	11	
4	Advances & Other Assets (if any)	12	
5	Current Liabilities	13	
6	Provisions	14	
7	Misc. Exp not Written Off	15	
8	Debit Balance of P&L A/c		
TOTAL (B)			0
Investment Assets' As per FORM 3B (A-B)			0

No	'Investment' represented as	Reg. %	SH		PH	Book Value (SH + PH)	% Actual	FVC Amount	Total	Market Value
			Balance (a)	FRSM* (b)						
1	G. Sec.	Not less than 20%				d = (b+c)		(e)	(d + e)	
2	G. Sec or Other Approved Sec. (incl. (1) above)	Not less than 30%								
3	Investment subject to Exposure Norms									
	1. Housing & Loans to SG for Housing and FFE, Infrastructure Investments	Not less than 15%								
	2. Approved Investments	Not exceeding 55%								
	3. Other Investments (not exceeding 25%)									
Total Investment Assets			100%							

Certification:

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date:

Signature: _____

Full name: _____

Designation: _____

Note: (*) FRMS refers Funds representing Solvency Margin'

(*) Pattern of Investment will apply only to SH funds representing FRMS

(*) Book Value shall not include funds beyond Solvency Margin

Other Investments' are as permitted under Sec 27A(2) and 27B(3)

FORM 4
EXPOSURE AND OTHER NORMS - QUARTERLY COMPLIANCE CERTIFICATE

Company Name and Code:

Date: as at:

No	Norms applicable for	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
I	Investee Company Exposure.	<p>a. Investment in equity, preference shares, convertible debenture:-</p> <p>1. Exposure at any point of time not exceeded 10% of outstanding equity shares (face value) or 10% of the respective fund in the case of life insurer / investment assets in the case of general insurer (including re-insurer) which ever is lower.</p> <p>b. Investment in debt / loans and any other permitted Investments as per Act / Regulation, other than item 'a' above:-</p> <p>1. Exposure at any point of time not exceeded 10% of the paid-up share capital, free reserves and debenture / bonds of the investee company or 10% of respective fund in the case of life insurer / investment assets in the case of general insurer (including re-insurer) which ever is lower.</p> <p>2. Subject to exposure limits as per Insurance Act, 1938, investment in equity and debt taken together had not exceeded 10% of the respective fund size in the case of life insurer or investment assets in the case of general Insurer (including re-insurer).</p>		
II	Group of the Investee Company (Ref. Reg. 2(ca) of IRDA (Inv) Reg, 2000)	<p>a. Exposure at any point of time not exceeded 10% of the respective fund in the case of life insurer / investment assets in the case of general insurer (including re-insurer) and 25% in the case of Unit linked business.</p>		

No	Norms applicable for	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>1. Whether any additional exposure not exceeding 5% of respective fund, other than Unit linked funds, in the case of Life insurer / investment assets in the case of general insurer (including re-insurer) had been taken? If so, has the 'prior approval' of Investment Committee had been obtained?</p> <p>b. Subject to exposure limits mentioned in the Regulations, had the Insurer invested more than 5% (12.5% in the case of Unit linked business) 'in aggregate' of its total investments in companies belonging to the promoters' groups. (For the purpose of this regulation 'Group' shall have the same meaning as defined under these Regulations).</p>		
III	Industry sector to which the investee company belongs	<p>a. Investment by the insurer in any industrial sector had not exceeded 10% of its total investment exposure to industry sector as a whole?</p> <p>b. Has the insurer, in the case of Unit linked business, had invested in any industrial sector, not exceeded 25% of its total investment exposure to industry sector as a whole?</p> <p>c. Is the classification of industrial sectors been done on the lines of classification of industries done by NIC (National Industrial Classification Code for Extra Territorial Organizations and Bodies in India) or any other system which adopts NIC classification, consistently from period to period?</p>		
IV	Others	<p>a. Has the Insurer fully complied with Regulation 9(6) of IRDA (Investment) (4th Amendment) Regulation, 2008 and point A.1.e of Annexure III to Circular INV/CIR/008/2008-09?</p> <p>b. Has the Insurer implemented the requirements of guidelines applicable for dealing employees, as required under point A.2.a of Annexure III to Circular -</p>		

No	Norms applicable for	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>INV/CIR/008/2008-09?</p> <p>c. Has any investment been done in contravention of Section 27C of Insurance Act, 1938?</p> <p>d. Are Money Market Investments classified as per Regulation 2(cc) of IRDA (Investment) Regulations, 2000?</p> <p>e. Do investments of One Year Renewable Group Term Assurance Business (OYRGTA) follow the pattern of Life Business?</p> <p>f. Has any investment been made in contravention of point 1 of note for the purpose of Regulations 3 and 4 of IRDA (Investment) (4th Amendment) Regulation, 2008?</p> <p>g. Have all investments, downgraded as mentioned under point 5 of note under Regulations 3 and 4, have been re-classified under 'Other Investments' <u>through the system</u>?</p> <p>h. Was debt investments under 'Approved Investments' based on rating criteria, at any point of time, under any class of business, for both life and general insurer (including re-reinsure) fallen below the minimum percentage as required under point 7 of note under Regulations 3 and 4?</p> <p>i. Has the Insurer complied with the requirements under Regulation 8 of IRDA (Investment) Regulations, 2000</p> <p>j. Has the insurer's Investment Policy (fund wise in the case of Unit linked business) has been approved by the Insurer's Board and has addressed all issues required under IRDA (Investment) Regulations, 2000? Also, has the investment policy been periodically reviewed?</p> <p>k. Has the performance of investments (including Unit linked fund(s)) been placed before the Board on a</p>		

No	Norms applicable for	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>quarterly basis?</p> <p>l. In the case of a life insurer, each individual fund, both under shareholder / policyholder funds, falling under any class of business, have identified 'scrips', representing the assets of each fund, to comply with the provisions of Section 11(1B) of Insurance Act, 1938?</p> <p>m. Have the <u>purchase and sale of Investments</u>, under any class of business, in the case of Life Insurer, in respect of <u>each fund</u>, (including Unit linked fund(s)) been <u>made out of the respective fund</u>?</p> <p>n. Has inter fund transfer, in the case of a life insurer, been done as per circular IRDA-FA-02-10-2003-04?</p> <p>o. Have the Assets been identified, for <u>each segregated fund of Unit linked business</u>, <u>as per file & use procedure</u> approved by IRDA?</p> <p>p. Has the insurer, in the case of Unit linked business, invested the assets, fund wise, as per pattern of investment approved by IRDA?</p> <p>q. Has the insurer, under shareholders funds, clearly split funds representing solvency margin (FRSM) in FORM 3A (Part A) / FORM 3B?</p> <p>r. Has shareholders funds, beyond solvency margin, have a separate custodian account and identified scrips for both life and general (including re-insurance) companies and reconciled with FORM 3A (Part A) and FORM 3B?</p> <p>s. Has the insurer conducted internal or concurrent audit for the reporting quarter and have implemented the board audit committee recommendations of the previous quarter as required under Point E.a of Annexure III to Circular - INV/CIR/008/2008-09?</p>		

No	Norms applicable for	Exposure / Other Norms as per Regulation	Are the required Norms complied? (Yes / No)	Remarks
		<p>t. Has the Insurer complied fully with the directions of circular: IRDA/CIR/INV/062/JAN/05 dated 17th Jan, 2005?</p> <p>u. Has the insurer, having not less than Rs. 500 Cr assets under management (AUM) complied with Point 11 and 12 of Annexure II to Circular - INV/CIR/008/2008-09 with respect to outsourcing of investment advice, NAV calculations?</p> <p>v. Has the insurer, in the case of life business, reconciled investment accounts, fund-wise, with bank and custodian records on 'day-to-day basis for all types of products?</p> <p>w. Has the Insurer, in respect of Unit linked products, reconciled the <u>units with 'policy admin systems'</u>, on a day-to-day basis?</p> <p>x. Has the insurer, in the case of general (including re-insurance) business, reconciled investment accounts with Bank and Custodian records on a day-to-day basis?</p> <p>y. Has the Insurer's investment in mutual fund complied with guidelines INV/GLN/004/2003-04 at all times during the quarter?</p>		

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Signature:.....
Chief Executive Officer

Signature:.....
Chief Investment Officer

Signature:.....
Chief Financial Officer

Date:

FORM - 4A

(Part A)

Company Name & Code

Rs. In Lakhs

Statement as on:

Investee Company Exposure Norms

Periodicity of Submission: Quarterly

No	Investee Company	Whether Equity / Debt?	10% of Outstanding Sh (FV) / 10% of (Sh.Cap +FR +Deb /Bonds) of Investee Company	10% of Fund Size / Total Investments	Least of Col (d) or (e)	Actual Investment	Deviation = Col (f) - Col (g) 3	Investee Company (Eq + Debt)	Deviation = Col (e) - Col (i)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

Note:

1. Fund Size shall be as per FORM 3A (Part A) / FORM 3B
2. Above table shall be prepared Individually for all ULIP Funds
3. Only (-ve) deviations are to be reported

Signature: _____

Full name: _____

Designation: _____

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date:

[Part III - Form 4]

भारत का राष्ट्रीय : सर्वोच्च

FORM - 4A

(Part B)

Company Name & Code

Rs. in Lakhs

Statement as on:

Group Company Exposure Statement

Fund Size : _____

Periodicity of Submission: Quarterly

No	Name of the Group	Promoter / Non-Promoter Group	Total Investments subject to Exposure Norms	% of Total Investments

Note:

1. Total Investments as per FORM 3A (Part A) /FORM 3B

_____ 0

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date:

Signature _____
Full Name & Designation _____

FORM - 4A

(Part C)

Company Name & Code

Rs. In Lakhs

Statement as on:

Industry Sector Exposure Statement

Fund Size : _____

Periodicity of Submission: Quarterly

No	Industry Sector (as per Regulations)	Total Investments subject to Exposure Norms	% of Total Investments

Note:

Total Investment as per Form 3A / 3B

0

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date:

Signature _____

Full Name & Designation _____

FORM - 5

Company Name & Code:

Statement as on:

Statement of Investment Reconciliation

(Business within India)

Periodicity of Submission : Quarterly

Name of the Fund: _____

Rs. In Lakhs

No	Category of Investments	COI	Opening Balance		Pur. for the Period		Sales for the Period		Adjustments		Closing Balance			% to Total (1+2+3)
			Face Value	Book Value	Face Value	Book Value	Face Value	Book Value	Face Value	Book Value	Face Value	Book Value	Market Value	
1	G. Sec													
										Total (1)				
2	G. Sec or Other Approved Sec/Guaranteed Sec													
										Total [1+2]				
3	Investments subject to Exposure Norms													
	(a) Housing & Loans to State Govt for Housing / FFE													
										Total [3(a)]				
	(b) Infrastructure Investments													
										Total [3(b)]				
	(c) Approved Investments													
										Total [3(c)]				
	(d) Other Investments													
										Total (3(d))				
										Total [3 (a+b+c+d)]				
										Total (1+2+3)				

TOTAL

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Also, certified that all Cash Market transactions executed on the Stock Exchange are made only on Delivery basis.

Date:

Signature _____

Full Name & Designation .

- NOTE**
- Individual Categories under each of the above Major heads should be listed with Category Code
 - FORM-5 shall be prepared in respect of each fund.
 - Each sub-total of FORM-5 shall be linked to its corresponding head in PART-A of FORM-3A / FORM-3B.
 - 'Other Investments' are as permitted under Sec 27A(2) and 27B(3)
 - Guidelines on preparation of FORM 5 should be strictly followed.

FORM - 5A

Company Name & Code: _____

Statement as on: _____

Name of the Fund: _____

Statement of Mutual Fund Investments: _____

Rs. in Lakhs

Periodicity of Submission : Quarterly

PARTICULARS	COI	Op. Balance		Purchase for the Qtr		Sales for the Qtr		Cl. Balance		Market Value	% to Total Inv.
		Units	Amount	Units	Amount	Units	Cost of Sales	Units	Book Value		
Approved Investments											
MF - Gilt / G Sec / Liquid Schemes	EGMF										
			0		0		0	Total (A)	0	0	0
MF - (under Insurer's Promoter Group)	EMPG										
			0		0		0	Total (B)	0	0	0
								Total (A+B)			
Other Investments											
MF - Debt / Income / Serial / Liquid Funds	OMGS										
			0		0		0	Total (C)	0	0	0
MF - (under Insurer's Promoter Group)	OMPG										
			0		0		0	Total (D)	0	0	0
								Total (C+D)			
								Total (A+B+C+D)			

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

SIGNATURE _____

Date: _____

FULL NAME & DESIGNATION _____

NOTE

1. FORM-5A shall be prepared in respect of each fund.
2. Each sub-total of FORM-5A shall be linked to its corresponding head in FORM-5.
3. 'Other Investments' are as permitted under Sec 27A(2) and 27B(3)
5. Guidelines on preparation of FORM 5 should be strictly followed.

FORM - 6

Company Name & Code:

Name of the Fund: _____

Statement as on:

Certificate under Section 28(2A) / 28(2B) / 28B(3) of The Insurance Act, 1938

Rs. In Lakhs

Periodicity of Submission : Quarterly

No	Investment Particulars	Under the Custody of						Total (Rs) SH + PH
		Bank (Rs)		Self (Rs)		Others (Rs)		
		Share Holders	Policy Holders	Share Holders	Policy Holders	Share Holders	Policy Holders	
1	G. Sec							
2	G. Sec or Other Approved Securities							
3	Investment subject to Exposure Norms							
	a. Housing & Loans to State Govt. for Housing & FFE							
	b. Infrastructure Investments							
	c. Approved Investments							
	d. Other Investments							
TOTAL								

We certify that the above mentioned securities are held free of any encumbrance, charge, hypothecation, or lien as on the above date.

CHAIRMAN

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

DIRECTOR

Note:

1. Custodian should certify that he is not disqualified under SEBI (Mutual Fund) Regulations, 1996 as amended from time to time.
2. Value of the Securities shall be as per Guidelines
3. In the case of Life Insurance Business, FORM-6 shall be prepared in respect of each fund.
4. The values under Certificate should be adjusted for Purchase / Sale of investments purchased and awaiting settlement.

A reconciliation to this effect should be attached to the Certificate.

FORM - 7

Company Name & Code:

Statement as on:

Confirmation on Investment Portfolio

Periodicity of Submission: Quarterly

No	Particulars	Confirmation (Yes / No)
1	<i>Details of Approved Investments / Other Investments which have matured for payment and maturity amount is outstanding along with particulars of defaulted amount and period for which said default has continued:</i>	
2	<i>Any Investment as at (1), which subsequent to maturity have been rolled over:</i>	
3	<i>In respect of Investments where periodic income have fallen due, details of interest payment in default, along with period for which such default have persisted:</i>	
4	<i>Details of steps taken to recover the defaulted amounts, and the provisioning done / proposed in the accounts against such defaults:</i>	

Certification

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date:

Signature _____

Full Name and Designation

Note: If any of the confirmation is in the affirmative, details be provided.

FORM 7A

Company Name & Code:

Statement as on:

Name of the Fund _____

Details of Investment Portfolio

Periodicity of Submission : Quarterly

COI	Company Name	Instrument Type	Interest Rate		Total O/s (Book Value)	Default Principal (Book Value)	Default Interest (Book Value)	Principal Due from	Interest Due from	Deferred Principal	Deferred Interest	Rolled Over?	Has there been any Principal Waiver?		Classification	Provision (%)	Provision (Rs)
			%	Has there been revision?									Amount	Board Approval Ref			

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date:

Signature _____

Full Name & Designation

Note:

- A. Category of Investment (COI) shall be as per INV/GLN/001/2003-04
- B. FORM 7A shall be submitted in respect of each fund.
- C. Classification shall be as per F&A-Circulars-169-Jan-07 Dt. 24-01-07

J. HARINARAYAN, Chairman
[ADVT III/4/161/2008/Exty.]